लोग आए, देखकर चले गए। जब वह सेटिसफाइड नहीं हुये, उसके बाद हाउस एडजर्न्ड कर दिया तो कम से कम जो अधिकारी हैं उनको मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं। हां, सरकार का काम जरूर है कि पता कर ले कि किसने किया है, कहां किया है? और यह बात सच है कि ऐसी स्थिति में कोई जुर्म नहीं हो गया। हां, तो आगे ऐसा न हो यह जरूर ध्यान रखना चाहिये। सिक्योरिटी सिस्टम जितना हम मजबूत करते हैं इस में बावेला मचाने का सवाल नहीं नही जब कोरम की घंटी बजी, जहां तक मंत्री महोदय का सवाल है, आ गये हैं तो बड़ी अच्छी बात है हालांकि मंत्री जी को मौजूद रहना चाहिये।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: महोदया, अभी लंच के पहले कुछ ऐसी इनफोरमेशन सेक्रटिएट और दिल्ली पुलिस को मिली, दो काल आये थे और आपको पता है कि ये अनोनीमस होते हैं और टेलीफोन के माध्यम से तुरन्त पता लगाना संभव नहीं होता है कि कहां से कॉल आया, किसने किया उसकी छानबीन पुलिस वाले करेंगे, पर हमने आपना यह फर्ज समझा कि जब ये इनफोरमेशन दोनों सोर्स से आ गई कि मुरली मनोहर जोशी की कुर्सी के नीचे बम प्लान्ट किया गया है तो यह जरूरी था कि पूरे सदन की जांच शुरू की जाए और वे जिस दफ्तर में बैठते हैं, बीजेपी के दफ्तर में उस की भी छानबीन की गई और यहां की भी की गई, इनके घर की छानबीन की गई। यहां की भी की गई है उनके घर की भी छान-बीन तुरन्त की गई है। उस पर व्यवस्था की। इस पर कोई भी इस तरह की बात कहना उचित नहीं है। जब कोई भी इन्फर्मेशन सर्कुलेट करते हैं तो जो हमारा सेक्योरिटी सिस्टम है, उनका फर्ज बनता है कि तुरन्त उसका मुआइना करे। यह इस पद्धति के आधार पर किया गया और हमने सब सदस्यों से कहा कि आप तुरन्त निकल जाइए। यह कोई बहादुरी नहीं होती कि सब जनें यहां खड़े रहते, बम फटता और सब मर जाते। यह कुछ बात नहीं है। जब इस चीज का पता चला तो तुरन्त इसकी जांच करने के लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाया गया और उन्होंने पूरे सदन की जांच की।

DR. BIPLAB DASGUPTA: You have done the right thing.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of recent devastating floods in different parts of the country and the steps taken by Government thereto—contd.

श्री जर्नादन यादव: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मैं गया था, बाढ़ से पीड़ित लोगों की कथा सुनाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं मिले। तीन दिन में यहां दिल्ली में बैठा रहा। खबर मिली कि प्रधानमंत्री जी 15 अक्तूबर को विदेश जा रहे हैं। मैंने बताया कि आज 11 अक्तूबर है इसलिए कम से कम बाढ़ पीड़ितों की कथा तो सुन लें लेकिन वह सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे।

अब वहां की जो रिपोर्ट है, केन्द्र सरकार की एक कमेटी वहां गई हुई थी और वह 24 को भागलपुर पहुंची और 26 को बाटा पहुंची। मुझे जो सुनने में आया है वह यह है कि वह कमेटी बाटा शहर से लौट आई और भागलपुर शहर से भी लौट आई। वहां पर मरने वालों की संख्या हजारों से ज्यादा है। सिर्फ बाटा जिले में इनकी संख्या 300 है। सरकारी रिपोर्ट है कि 53 लोग मरे हैं। जिन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है उनकी गिनती नहीं हुई है। अगर भूकम्प होता तो मरने वाला आदमी घर में रह सकता था लेकिन सौ किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ थी। जो आदमी उस बाढ़ में दब गया, दब गया पता नहीं वह कहां बह गया तो वह आदमी नहीं मिल रहा है। जब आदमी ही नहीं मिल रहा है तो उसका पोस्टमार्टम कैसे होगा? वहां एक चितारपुर बांका गांव है। वहां पक्के मकान पर बैठे हुए 14 लोग थे, वे 14 लोग ही मकान सहित बह गए। उनकी लाश नहीं मिल रही है और परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारे 14 लोग मर गए हैं। इसी प्रकार कोटा जिले में सूरणी गांव है। इस सूरणी गांव में 16 आदमी एक पक्के मकान की छत पर बैठे हुए थे। वह मकान बह गया। पक्का मकान बह गया। उनका कोई पता नहीं है। कहलगांव प्रखंड के जंगला पोखरी गांव में 21 आदमी घर में थे, पूरा घर बह गया। इस प्रकार यहां पर केवल उन्हीं की गिनती की गई है जिनका पोस्टमार्टम हुआ है। जो बहकर चले गए हैं उनकी इसमें गिनती नहीं है जब कि उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमारे इतने लोग मरे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि इतने लोग मरे हैं। लेकिन सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहती है। लेकिन ऐसी हालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां से लायें जब व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं सुनती है। इस क्षेत्र में गंगा-जमुना नदी के पूर्व का किनारा जिसमें 128 तटबंध हैं यानी महुआ से लेकर सिन्हास, जगदीशपुर, रजौन, बांका, अमरपुर ये नदी के पूर्वी किनारे वाले गांव हैं। चानना जो रजौन प्रखंड की एक पंचायत है, चिड़कौर, मझौनी, जहां 20

हजार की आबादी है वहां पर 12 लोग बह गए हैं लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वह गांव ईंट, पत्थर और मिट्टी का ढेर हो गया है। उस पंचायत में कुछ बचा ही नहीं है। ये 128 तटबंध टूटे हैं और 260 पुल टूटे हैं। सिर्फ बांका जिले में 9000 एकड़ जो ईख और अन्य फसल लगी हुई थी वह बालूमय हो गयी है। 16 हजार हेक्टेयर जमीन पर इसका असर पड़ा है। वहां पर न खरीफ की फसल हो सकती है और न रबी की फसल हो सकती है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से उनको क्या मिला है, एक टके का गेहूं, 3.50 किलो गेहूं पर व्यक्ति, एक सप्ताह में। यह जो चार-पांच लाख की आबादी बिना छत के रह रही है, उसको पोलोथीन नहीं मिला और जिन गरीब लोगों ने कहीं से मांगकर पोलोथीन का घर तैयार भी किया, दुर्भाग्य से 9 और 10 नवम्बर को फिर बाढ़ आ गई। यह तो 27 और 28 सितम्बर की बात मैं कहता हूं अब 9 और 10 नवम्बर की बात कह रहा हूं कि जो तटबन्ध टूटे हुए थे वर्षा होने से उससे पीड़ित लोगों के फिर घर बह गये हैं। दो महीने से ज्यादा समय होने पर केन्द्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ-फण्ड नहीं दिया गया है। जून से जुलाई तक का जो वार हुआ था, केन्द्रीय सरकार से हमें एक रिपोर्ट मिली है, उसमें 36 करोड़ रुपया दिया गया है, दैवी आपदों के लिए। उसमें बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है, आग लगने का भी है जून से जुलाई, अगस्त तक। मैं तो सितम्बर की बात करता हूं, नवम्बर की बात करता हूं, कि केन्द्रीय सरकार के मंत्री बंगाल में गए हैं, अन्य राज्यों में गए, लेकिन बिहार राज्य में, तथा बाटा जिले में यह देखने के लिए नहीं गए कि वहां किस प्रकार के लोग बाढ़ में पीड़ित हैं। मुझे पता है, 11 अक्तूबर तक कोई नहीं गया था। 27 व 28 सितम्बर के बाद से कोई मंत्री नहीं गया। आखिर यह वैलफेयर स्टेट है और हर नागरिक के लिए कपड़ा, भोजन और मकान आवश्यक है। जिस मेहनत से कपड़ा, मकान बनाया था, ग्रामीणों ने कहा कि घर की रोटी भी और लंगोटी भी दोनों चली गई। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, वह क्यों नहीं की गई दो महीने तक ठंड से कितने लोग मरे इसकी भी जांच होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार को केन्द्र सरकार राहत देने में आना-कानी क्यों कर रही है? जहां कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा राज्य जो कि दिल्ली के बगल में स्थित है, पता चला है कि उसको बाढ़ के लिए 800 करोड़ रुपया दिया गया है। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है। हो सकता है वहां बाढ़ आई हो, लोगों की बर्बादी हुई हो तो उसके लिए तो 800 करोड़ रुपया और बिहार के लिए एक करोड़ भी नहीं। बिहार में जिन्होंने कभी बाढ़ देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, वे बाढ़ से पीड़ित हैं। आज पूरे बिहार में और खासकर बाटा शहर में 8 फीट पानी था। पानी सभी जगह पहुंच गया जेल में, अस्पताल में, स्वास्थ्य विभाग, नियंत्रण विभाग तथा कचहरी में, 77 हजार दस्तावेज पानी में गल गए। स्टेट बैंक में पानी घुस गया। बाटा का ऐसा कोई घर नहीं था, जहां आठ फीट पानी न हो। केवल 12 घंटे पानी रहा, जिसमें बाटा के गरीब से गरीब आदमी ने भी 50 हजार रुपए की क्षति उठाई है। अमीर की बात तो छोड़ दीजिए, लाखों रुपए का कपड़ा सड़ गया, अन्न सड़ गया, इसकी पूर्ति राज्य सरकार नहीं कर सकती, सिर्फ बाटा जिले की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार नहीं कर सकती, जिसका कि सालाना बजट 1200 करोड़ रुपए है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बाटा और बाटा से सटे हुए सात जिले बाटा, गुड्डा, गुनका, भागलपुर, जमूरी, साहब गंज, पापूर, पुर्णिया और कटिहार में जो क्षति हुई है, इन सात जिलों में केन्द्र सरकार अलग से राहत की व्यवस्था करे और कम से कम बिहार सरकार मांग रही है 1100 करोड़। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मानवता के आधार पर आज दो हजार करोड़ रुपये बिहार सरकार को इस दैवी आपदा की मद में भेजिये और खास कर के बांका को कम से कम एक हजार करोड़ रुपया मिले तो बांका तैयार हो सकता है नहीं तो यहां ठंड से लाखों लोग बिना वस्त्र के बिना अन्न के जो रह रहे हैं वह तो मरेंगे ही और इसकी जवाबदेही केन्द्रीय सरकार पर होगी। राज्य सरकार पर होगी। बाढ़ हर साल आ रही है देश में इसलिए इसकी रोकथाम के लिए कोई स्थाई व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि बाढ़ नहीं आए। अगर बाढ़ हर साल आती रही तो विकास का सारा पैसा बाढ़ में लग जाएगा। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए पूरे देश के लिए व्यवस्था करनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, जिस बाढ़ का जिक्र हमारे सम्मानित साथी श्री जनार्दन यादव जी कर रहे थे, उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

SHRI S.S. SURJEWALA (Haryana): Madam, I would like to submit that the hon. Member's name doesn't figure in the list of speakers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Digvijay Singh's name is there in the list which is in front of me.

श्री दिग्विजय सिंह: हम तो कालिंग अटेंशन मूव करने वालो में हैं।

श्री जनार्दन यादव: यह तो बाढ़ पीड़ित भी है **(व्यवधान)**

SHRI S.S. SURJEWALA: I have this printed programme issued by the Secretariat.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Your name figures against serial number three.

Mr. Digvijay Singh's name figures against serial number two.

SHRI S.S. SURJEWALA: I have no objection... *(Interruptions)*...Okay

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदया, जिस बाढ़ का जिक्र हमारे सम्मानित साथी श्री जनार्दन यादव जी कर रहे थे उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कुछ इलाकों में बाढ़ अक्सर आया करती है। लोगों की मानसिक दशा उस बाढ़ से लड़ने और झूझने की तैयारी में रहती है लेकिन जिस इलाके में बाढ़ आई और जिसका जिक्र श्री जनार्दन यादव जी ने किया इसकी जानकारी जब मेरे जैसे लोगों को दी गई तो मुझे ऐसा लगा कि हमें जानकारी देने वाला अचानक किसी मानसिक रोग का शिकार तो नहीं हो गया। क्योंकि पिछले सौ वर्षों के इतिहास में जब से उस जगह की बनावट प्रकृति ने बनाई और हम लोगों की जानकारी में है तब से वहां कभी बाढ़ आई ही नहीं थी। भारत सरकार के कृषि पंडितों ने भी इस देश के कुछ हिस्सों को सूखा क्षेत्र घोषित कर रखा है बांका, प्लामऊ और झबुआ का इलाका भी ऐसा है जहां बाढ़ की विभीषिका कभी आई हो यह इन्सान की कल्पना से परे की बात है। यह बात भी सही है कि बाढ़ कोई लम्बे-चौड़े समय के लिए बांका में नहीं रही। पांच-छः घंटे तक ही बाढ़ का पानी बांका शहर में रहा, उस प्रभावित इलाके में रहा लेकिन पांच-छः घंटे की विभीषिका इतनी भयानक थी जिसका जिक्र सिर्फ वहां जा कर, देख कर लोग कर सकते हैं या समझ सकते हैं। यहां आ कर हम उस बात को बोलें तो शायद इस सदन के लोग और सरकार उस बात को समझ नहीं सकते। गांवों के गांव बरबाद हो गये। चार-पांच घंटे की बाढ़ से ऐसा आतंक हुआ जो बाढ़ के इतिहास में सुना और देखा नहीं गया। जनार्दन यादव जी कुछ गांवों का जिक्र कर रहे थे। ऐसे गांव हैं जहां के लोगों ने बाढ़ का पानी तो क्या कभी नाले के पानी को भी नहीं देखा था। लेकिन यह सब कुछ हादसा हमारी आंखों के सामने हुआ। प्रकृति का प्रकोप यह हो सकता था लेकिन प्रकृति का यह प्रकोप नहीं था। बाढ़ से सुरक्षा के इंतज़ाम किये गये थे पहले से लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बाढ़ से सुरक्षा का इंतज़ाम ऐसा था कि 1960 के बाद एक भी कुदाल मिट्टी उन सुरक्षा के कामों पर नहीं दी गई। इसलिए जब उस इलाके में पहले से गरीबी थी, लाचारी थी, लोग बेबस थे, उनकी जिन्दगी को कोई नया आयाम नहीं मिल रहा था वैसे माहोल में लोगों का विश्वास प्रकृति और प्रकृति के नाम पर और इश्वर पर होता था। ईश्वर है या नहीं है, यह बहस सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जब इन्सान अपने से टूट जाता है, उसका मनोबल गिर जाता है तो उसको लगता है कि प्रकृति या ईश्वर हमारे सहारे आएगा। लेकिन जब प्रकृति और ईश्वर उन इन्सानों के सहारे न आए तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इन्सान की मानसिक दशा आज की मौजूदा परिस्थिति में क्या हो सकती है। हमारे यहां, आपके यहां हम इस समाज की रचना के एक मात्र पात्र हैं। कोई विपत्ति आती है, किसी के यहां दुख होता है, कोई मर जाता है, तब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं सिर्फ उसकी मायूसी में शामिल हो जाते हैं। लोगों का दिल उसी से भर जाता है कि हमारी विपत्ति के समय कोई आया था । लेकिन आज वहां लोग चारों तरफ से बरबादी और तबाही के रास्ते से गुजर रहे हैं। आखिर सरकार बनी क्यों है। हम लोगों ने सरकार क्यों बनायी? सरकार इसलिए हम लोगों ने बनायी कि जब इन्सान अपने से अकेले करने में बेबस था तो उसके समाज की रचना की और जब समाज को लगा कि हम भी बेबस हैं तो हमने सरकार की स्थापना की और सरकार की स्थापना करते हुए हमने सरकार को यह ताकत दी कि अगर हमसे गलती हो तो सरकर हम पर गोली चलाए, हमें जेल दे, हमें फांसी की सजा सुनाए। लेकिन दूसरी ओर हमने सरकार से यह उम्मीद रखी थी कि हमारी विपत्ति में हमारे जीवन की, जीने की बुनियादी जरूरतों को सरकार पूरा करे। अगर जनार्दन यादवजी की बात सही है, जो उन्होनें अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आज सदन में रखी है तो क्या आज सरकार अपने को इस लायक मान रही है कि उस विपत्ति के समय एक साए के रूप में उसने वहां खड़े होने का काम किया—जहां लाखों की संख्या में लोग बरबाद ही नहीं हुए, उनके घर गिर गए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको

आज भी राहत का सामान नहीं मिला है। सरकार ने दावा किया है कि कुछ लोगों को कुछ मिला है। एक बात का जिक्र जनार्दन यादव जी ने नहीं किया। वैसे समय में लोगों को एक बार लगा कि वहां के जो जिलाधिकारी हैं वे ही बांका शहर को मारे डर के छोड़कर चले गए। किस पर लोगों का विश्वास होगा। जो नुमाइंदे थे, उन पर विश्वास नहीं। बाढ़ आ गयी तो उसको दैवी प्रकोप माना गया लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जो साधन मुहैया होने थे वे नहीं हुए। वैसी हालत में लोगों की क्या मानसिक दशा हो सकती है, माननीय मंत्री जी इसको आप समझ सकते हैं। आप खुद वैसे इलाके से आते हैं जो इलाका पिछड़ेपन का इलाका है। अगर पिछड़े हुए इलाकों में, गरीबी के इलाकों में इस तरह का प्रकोप हो तो लोगों की मनोदशा को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए मैं विशेषकर आपका ध्यान इस बात की तरफ खींच रहा हूं। क्या भारत सरकार का कोई दायित्व नहीं था? क्या बांका के लोग इस देश का हिस्सा नहीं थे। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक जगह इस देश में बाढ़ आती हो तो वहां 6-6 सौ करोड़ रुपए दें और बिहार के जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां भारत सरकार के मंत्रियों को तो छोड़ दीजिए पदाधिकारी भी हम लोगों के तमाम दबाव के बावजूद वहां जाकर एक खानापूर्ति करके चले आते हैं। एक रुपया भी भारत सरकार की तरफ से नहीं जाता है इस खास काम के लिए। आपने परम्परा बना दी और उस परम्परा के हिसाब से कुछ पैसे भेज दिए जाते हैं। लोगों की बेबसी से, लोगों की लाचारी से अगर इस तरह का मजाक किया गया तो हमारा इस सदन में अपनी बात रखने का कोई मतलब नहीं होगा। हम आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अगर भारत की संसद में बांका जैसे एक जिले की बाढ़ पर बात करते हैं तो क्या यह शर्म की बात है या नहीं? यह प्रस्ताव क्यों लाया गया? यह प्रस्ताव कब लाया गया, जब सरकार कुछ नहीं कर सकी। यह प्रस्ताव कब लाया गया, जब सरकार ने एक कदम भी इसमें पहल करने की कोशिश नहीं की और आज जब माननीय मंत्री जी को स्वयं होना था तो इस बचाव में आपको सामने खड़ा कर दिया माननीय मंत्रीजी। बलराम जाखड़ जी पता नहीं अचानक कहीं चले गए। यह तय हुआ था कि माननीय मंत्रीजी स्वयं रहेंगे इस बहस का जवाब देने के लिए। मैं उन बेबस लाचार लोगों की तरफ से आज आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि आज भी समय है। जाड़े का मौसम आ गया है, लोगों के घर टूट गए हैं। हम लोगों ने, जनार्दन यादवजी ने और भी वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों से भीख मांगी। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद की। कुछ पालिथीन के बैग्स और बर्तन लोगों को बांटे। लेकिन भारत सरकार खामोश बैठी रही। हजारों करोड़ रुपयों का बजट बनता है, लाखों हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं लेकिन आपने इतना भी नहीं किया कि जिन लोगों के घर गिर गए हैं वहां पालिथीन के छप्पर अपनी तरफ से डलवा देते। आखिर लोग क्या खाएंगे वहां, कोई रोजगार का साधन वहां नहीं है। आपने सात दिन का जो सामान बांटा उससे आपने समझ लिया कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गयी। वे लोग कहां जाएं? ऐसी हालत में अगर लोग गलत रास्ते पर चलने लगें, गलत रास्ते पर उनके कदम बढ़ जाएं तो क्या हम यह सही कह सकते हैं कि वह गलत काम है? जबकि इंसान बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, उसके सामने कोई रास्ता न हो तो वह कोई भी कदम उठा सकता है और जो सरकार इस मोर्चे पर न सिर्फ विफल रही बल्कि लोगों को प्रेरित करेगी उस इलाके में गलत काम करने के लिए और उसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो उन लोगों पर है जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ लेकर इस देश के लोगों की रक्षा की जिम्मेवारी ली थी। आज यह वक्त आपके सामने है। अगर फैसले 24 घंटे, 48 घंटे में आप नहीं करते तो वहां राहत का कौन सा साधन जुटाया जाए, मैं नहीं जानता कि हजार करोड़ रुपया से बांका की क्षतिपूर्ति हो सकती है। आप हजार करोड़ रुपया दें या दो सौ करोड़ रुपया दें, मैं इस बहस में नहीं जाता, जनार्दन यादव जी ने विस्तार से बता दिया, हमारे दूसरे दोस्त नरेश यादव जी आपको बतायेंगे और उसके और बड़े पैमाने पर ले जा कर बात कहेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, जिस विपत्ति के समय में आपकी भूमिका होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, लेकिन अगर आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद 24 घंटे के अंदर भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और आपका विभाग मौके पर जाकर लोगों के मनों में यह भरोसा नहीं दिला सका कि सरकार के लोग भी कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहते हैं तो याद रखिए ऐसी सरकारों से लोगों का रिश्ता टूट जाएगा। याद रखिए ऐसे में ही लोग किसी गलत रास्ते पर चलने को मजबूर होते हैं। तत्काल जाकर भारत सरकार के लोग, भारत सरकार के नुमायंदे वहां मौके का मुआयना करें कि क्या जरूरत की चीज़ों को मुहैया कराया जा सकता है और उस वस्तुस्थिति को जानकर आप अपने फैसले करें। जिन लोगों के परिजन लुट गए, जिन लोगों का परिवार समाप्त हो गया, जिनकी मांग उजड़ गई, उनको पैसे से नहीं भरा जा सकता है, उनको आपकी मौजूदगी से, सरकार के कामों से ही भरा जा सकता है। यह विश्वास दिलाने का काम आपके

ऊपर है। बिहार के साथ यह अन्याय कब तक चलता रहेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने तो सिर्फ एक जिले का जिक्र किया है। कितने जिलों में इस तरह का बाढ़ का पानी आया और उस विभीषिका का जो आतंक है वह जाकर देखा जा सकता था। मुझे अफसोस है कि जो मंत्री लोग भी बिहार से बन कर आए थे, प्रोग्राम दिया, कार्यक्रम दिया दौरे का, हम लोग डाक बंगले में मंत्रियों का इंतजार करते रहे कि कोई मंत्री आएगा और लोगों के दुख दर्द की हिस्सेदारी करेगा। कोई हवाई सर्वेक्षण कर रहा था पटने से उड़कर, कोई हवाई सर्वेक्षण कर रहा था दुमका से उड़कर, लेकिन एक आदमी जमीन पर नहीं आया यह जानने के लिए कि बाढ़ का आतंक किस सीमा तक है। इसलिए मैं आपको किन शब्दों में इन बातों का बयान करूं यह बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, वक्त तो बहुत गुजर चुका, लोगों का भरोसा उठ चुका, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर इस सदन की इस बहस से कुछ भी असर आपके ऊपर हो रहा हो, अगर उसकी दुख-दर्द की थोड़ी सी भी बात हमारे कहने से आपके सीने से समा रही हो तो आप तत्काल जाएं सरकार के लोगों, आफिसरों को आदेश दें, लोगों के विश्वास को जीतने का काम करें तो हो सके तो जितना जल्द हो सके इस सदन के चलते-चलते इस सदन को बता दिया जाए कि बिहार के सारे इलाके के साथ-साथ उस बांका जिला में कितना पैसा भारत की सरकार दे रही है, मैं तो इतना कहूंगा कि तत्काल जो एक लाख घर गिर गए हैं उन घरों की भारत सरकार अपनी ओर से मरम्मत ही न कराए, बल्कि उन घरों को बनाए क्योंकि मरम्मत कराने लायक कोई चीज है ही नहीं वहां। आपको घर फिर से खड़े करने होंगे। वे झौंपड़ी ही सही मगर आपको फिर से वही खड़े करने होंगे। दूसरा जिनके परिवार के लोग उजड़ गए इन दुनिया से चले गए उस परिवार को कोई ऐसी मुफ्त रकम दे आप ताकि उनके परिवार को जीने का एक स्वावलंबी तरीका सरकार की ओर से बनाया जा सके।

मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, जहां एक ओर मैं उस विफलता का जिक्र नहीं करता मैं तो आज सुझाव के माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि आप इस दिशा में तत्काल कदम उठाएं ताकि संसदीय मर्यादा में जिन बातों को हम लोग आपके सामने कह रहे हैं उसका कोई महत्व हो और उसको लोग सही तरीके से समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

SHRI S.S. SURJEWALA: Madam Vice-Chairman, I would like to speak on the devastation caused by the recent floods in various parts of the country, particularly in the State of Haryana. Some parts of Rajasthan, some parts of U.P., Bihar Orissa, Bengal, Andhra Pradesh and many other States have been the worst affected by the recent floods. Before coming to the details as to what happened in Haryana and other States, I would like to briefly refer to what my hon. friend, Shri Digvijay Singh, has said. He has very severely Criticised the role of Government of India that it failed to mitigate the suffering of the people. I would like to point out to my friend that agriculture and flood are primarily State subjects. These are not essentially Central subjects. Of course, giving relief to flood victims and other victims falls under the duty or function of the Government of India. But primarily it is the State Government which has to come to the rescue of the people who have suffered untold miseries. To cover up the failings of his own party's Government in the State of Bihar, which has utterly failed to come to the rescue of the people, he is trying to put the blame at the doorstep of the Government of India, which is highly unjustified and not proper. In fact, what is the Bihar Government doing; What ever assistance the Government of India is rendering in the shape of various grants to help the people, instead of spending that money on providing relief to the people, the Bihar Government is disbursing it as pay to its employees. This is how the Bihar Government is being run.

श्री नरेश यादव (बिहार): मैडम, कम-से-कम गलत आरोप तो नहीं लगाया जाना चाहिए।

उपसभाअध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अभी बैठिए, आप जब बोलेंगे तो सब बातें कह सकते हैं।

SHRI S.S. SURJEWALA: You are criticising the Government of India. Therefore, you should have the guts to listen to whatever we say.

Now proceding to the subject, I would like to say that the State of Haryana

stands at the top, number one State, where the worst type of devastation has occurred. In fact, to illustrate this by figures I would like to mention Haryana's annual rainfall. It is between 400 millimeters to 500 millimeters. During this season the rainfall was 1,400 millimenters. Up to the end of August or first of September the rainfall recorded in Haryana was 950 millimenters which was double than the average annual rainfall. Then what happened on 2nd, 3rd and 4th September was that 455 millimeters of rainfall was recorded in two-and-a-half days causing complete deluge, complete devastation. Haryana was never visited with such a worst calamity in the human memory. More than half the villages in Haryana were devastated by flood. They were worst affected. Hundreds of villages have been erased from the earth. They have been washed away. For the first time lakhs of rural and poor people in Haryana had to migrate. They had to flee to save their lives. They left everything. They could not take any single item from their houses. The villages were submerged under 12 feet to 15 feet of water. All The *kutcha* houses were completely devastated, cimpletely erased from the earth, and all *pucca* houses had either fallen or suffered worst type of cracks.

Madam, more than 500 human lives were lost and more than 50,000 cattle perished. Then more than half of the standing crops were completely destroyed. You cannot find cotton crop in Haryana because all the cotton crop has been damaged. Crops of green fodder, jawar and bajra have also been completely destroyed. The paddy crop, which is a very hard crop, which can withstand the floods and standing water, was damaged and hardly one-third yield could be taken out. These are the miseries.

I must appreciate the Government of India and the Haryana Government for the massive dewatering operation launched in Haryana and for the relief work. Madam, there was no drinking water. Thousands of villages were supplied with drinking water. Boats were deployed in hundreds of villages to transport the human beings and to provide them succour. The people there were provided with medicine. Cattle were also provided medicine in the shape of injections. The proof is, there is no epidemic outbreak in Harayana, although the devastation was unprecedented. Now it is the month of December and already 98 per cent of the land has been cleared from water and most of the people are returning to their villages. Although the Government of India has rendered adequate financial help, still people are facing difficulties. The Harayana Government has given Rs. 50,000 each to the dependents of the persons who died. They have also given Rs. 5,000 each to the owners of cattle which is perished. They have given Rs. 5,000 each to all the owners of tubewells which were damaged. They have given Rs. 10,000 each to the people whose houses were damaged in the devastation. They have also given Rs. 1,000 per hectare to all the farmers whose crops were damaged. The relief provided by the Haryana Government was more if we compare it with the relief provided by other Governments. The Haryana Government has enhanced the relief.

Madam, there is a need to start a massive rehabilitation programme. At least, three lakh *pucca* houses should be built under the Indira Awas Yozana or from the special grant given by the Government of India for the construction of *pucca* houses for the Harijan and landless people. Madam, as you are aware most of the houses of the poor people are in low lying areas. It was conspiracy. Shrimati Indira Gandhi made a programme that all the landless people would get houses.

The influential people from the village ensured that the plots allotted to the poor people, the landless people and the Harijans were located in the low lying areas so that during the rainy season, these houses got submerged. This is what actually happened. Almost all the houses that

belonged to the poor people were destroyed. These people have been left with nothing. They have no house, no shelter, nothing to eat, nothing to wear and no bed to sleep on, no utensils, they have lost everything. Therefore, large tents should be given to these poor people, the landless people and the people whose houses have been destroyed. During the winter season, nobody can stay in the open because the winter season in the north is very, very harsh. Through this Calling Attention Motion, I demand that the Government of India should come to the rescue of these poor people. The financial position of the Haryana Government is not very strong. It will not be able to build two to three lakh houses for the landless people. This can be done only by the Government of India. I had also written to the hon. Prime Minister that, at least, three lakh houses should be built for the Harijans and the poor people belonging to the State of Haryana. They have to be rehabilitated. The State Government is trying to provide them with blankets and beddings. But due to financial constraint, it cannot do much. Tents, bedding and something to eat which would last for a month or even a fortnight should be provided to these poor people. The last crop was completely destroyed. The farmers are facing some problem in ploughing the land. After the floods, the land has become very hard. It is not easy to plough this land with the help of the ox. They need heavy tractors to plough the land. They do not have the money to purchase seeds, fertilizers and pesticides. If the farmers are not able to sow the seed this season, only God can save them. The Government of India should provide them seeds at a subsidised rate. The Goverament of India should help the farmers cultivate the land. By doing this, the Harijans, the landless people and the backward people can also find jobs and start their lives afresh. Finally, I would like to demand from the hon. Minister that a multi-purpose national plan be framed to control floods. A multiurpose national plan trying to link all the rivers should be prepared. This has been a very, very old demand. The rivers should be tamed, dams should be built on the river and flood-waters should be channelised. It should be utilised for irrigation purposes. The State of Haryana is like a saucer. Hence, the situation is such that it is difficult for the flood-waters to flow out.

Dewatering of the flood waters through the canals is a very very difficult and massive job. Therefore, there is a need to frame a multi-purpose national plan to save the whole country from recurring floods and such a plan should be executed in a time-bound manner.

Apart from the villages which were affected, about two dozen towns were also badly affected in Haryana. All of us must have read about this in the national press. Rohtak, Dadri, Bhiwani, Jind, part of Kaithal, Panipat, Sonepat were affected greatly. Apart from these towns, a large number of smaller towns were inundated because of flood waters. Houses and shops of poor people were lost completely. Lakhs of people have lost their livelihood for the last three months. Half of Haryana's population has no means of livelihood. They have lost everything. In the circumstances, the Government of India should come to the rescue of the Haryana Government. The Government of India should extend liberal help to the State Government. As I demanded earlier floods in Haryana should be treated as a national calamity, as was done in the case of Latur because the devastation caused by floods is not less than what had happened in Latur. Half of Haryana is completely destroyed. I had already described the loss and I don't want to take the valuable time of the House.

All that I want to say is that the Government of India should help the State Government in a liberal manner because the efforts of the state Government alone are not capable of meeting the great loss. The Government of Haryana has done its maximum.

At the same time, I appreciate the role played by the Union Govenrment also. Hon. Agriculture Minister has visited the flood affected States, including the State of Haryana. Some Members of Parliament, Chief Ministers and high officials of the Government of India accompanied the Agriculture Minister. Dr. Balram Jakhar also visited several flood affected places. I also appreciate the efforts made by the hon. Prime Minister, the Government of India, the Agriculture Ministry and the State Governments. However, a lot remains to be done. Thank you very much, Madam.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): Madam, it has become a ritual on the part of the Government to make a customary and stereo-type statement indicating the extent of rainfall, visits of the Ministers, lives lost and the allocations made to States which were affected by the floods. This is something customary and stereo-type. The fury of floods is increasing unabatedly. Every year the country is facing a large-scale devastation caused by floods. Thousands of lives are being lost every year. Lakhs of cattle population, standing crops worth crores of rupees, lakhs of houses are being lost. Public properties such as roads and school buildings get damaged every year.

It has become the order of the day. After 35 years of planning, the people of our country have no other way but to depend upon the vagaries of nature. Madam, rainfall is a natural phenomenon. But I am constrained to say that the floods that take place in our country are definitely man-made. The apathy of the ruling party towards the masses, specially the peasantry, the rural people, causes concern to all of us. The Government at the Centre deals with the incidence of floods in an *ad hoc* manner. There is no longdrawn perspective plan to at least minimise the devastation caused by floods. There is no disaster management machinery in the hands of the Government. If we go through the physical map of our country, we will find that our country is endowed with hundreds of rivers, rivulets and streams. The entire country is criss-crossed by so many rivers, rivulets, streams, etc. But the rainwater gets no passage to flow down to the sea. Why is it so? So far as my knowledge goes, it is due to encroachements and heavy siltation of river-beds. So far as North India is concerned from Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Part of Madhya Pradesh to Bengal — the only outlet is the river ganges. There is no other outlet. For the rivers of North Bengal and Assam, the outlet is the Meghna Padma course, which is in Bangladesh. The main passage for water in the northern India is the river Ganges, which is progressively being silted. And, what I want to say specifically is that after the construction of the Farakka Barrage, the course of the river Ganges has been disrupted severely and in the down-stream of Farakka, it causes heavy erosion in the right bank of the Ganges. The river hugs the right bank progressively. It is known to the Minister. The highway and the railway line will be washed away at any time. Due to the construction of the Farakka Barrage, about 13,000 acres of cultivable land is under acute water logging. The mouth of the river Bhagirathi, that means Bhagirathi-Hoogly river, has been completely silted.

I want to know from the Minister what remedial measures the Government has taken so far and what its future plan is to check erosion, remove the silt and drain away the water logged over 13,000 acres of land in the District of Murshidabad. We all know that talks are going on with Bangladesh over sharing of the Ganges water. I want to know from the Minister whether there is any talk with Bangladesh over the desiltation of Meghana-Padma course. What is the maximum run-up of the Ganges at Farakka point and what is the maximum drain discharge capacity of the Farakka Barrage? I also want to know about the present position of the Kosi Project and how long it will take to complete the project because it is going on for the last thirty years. I also want to

know about the present position of the Tista Barrage Project and till date how much amount has been given as Central Assistance for completion of this project. As you know, it is beyond the capacity of the State Government to take the entire burden of completion of the Tista Barrage.

Madam, we all know that talks were going on with Nepal on construction of dams over certain rivers which originate from Nepal. What is the outcome of these talks? I want to know whether the talks are still going on.

Assam, the entire Assam, if I may say so, if flood-prone. What is the plan of the Ministry to tame the mighty Brahmaputra? At one time, discussions were going on for construction of a barrage over the Brahmaputra at Dhubri point. I want to know whether the Government is still contemplating that such a barrage or dam is necessary over the Brahmaputra river.

Madam, natural calamities like floods put an enormous burden on the State exchequer. The Minister mentioned in his statement that they have decided to allot some money to the State Governments, not all the State Governments. So, I want to know how much money till date has been really given to the States, not decision, but actual release of funds, to repair canal embankments and eroded bandhs and to repair damaged roads.

So far as West Bengal is concerned, I came to know that the West Bengal Government demanded Rs. 12 crores for repair of national highways, but the Surface Transport Minister was kind enough to allot one crore of rupees. So, I want to know how much money the Government of West Bengal demanded from the Centre for erosion, repair of roads and rehabilitation of displaced people. Lastly, I want to know from the Minister whether the Government intend to constitute a Disaster Management Machinery in the shortest possible period. Madam, with these words, I conclude.

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैंने इस माननीय सदन में 24 अगस्त को बिहार में जो विनाशकारी बाढ़ आई, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। जब सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज पुनः इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विनाशकारी बाढ़ की ओर ध्यान दे और प्राकृतिक आपदा के लिए राहत कोष में जो भेदभाव बरता जा रहा है, उसे तत्काल बंद किया जाए। उपसभाध्यक्ष महोदया, यह स्वतः स्पष्ट है कि सन् 1980 में जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें यह कहा था कि, पूरे देश में जितनी बाढ़ से क्षति होती है उसका 22.8 प्रतिशत अकेले बिहार में क्षति होती है। उत्तरी बिहार का 76 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, उत्तरी बिहार में एक बढ़ी नदी है गंगा नदी, इसके इलावा वहां पर आधवारा समूह, बूढ़ी गंडक, कमला, सोन, कोसी महानंदा नदियां है। इसके अतिरिक्त छोटी-छोटी सहायक दो सौ नदियां है जिनका स्वभाव है अपनी दिशा परिवर्तन करना। जब नदी दिशा परिवर्तन करती है तो स्वतः स्पष्ट है कि उससे सब से अधिक किसानों की ज़मीन प्रभावित होती है। लाखों एकड़ जमीन हर वर्ष किसानों की बरबाद हो जाती है जिससे किसानों के सामने भुखमारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है स्पष्ट है कि जब बाढ़ के कारण पानी आता है तो वह पानी खेत में सिर्फ बालू डाल देता है जिससे किसान उस जमीन पर अन्न पैदा नहीं कर पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार मैं गंगा नदी 438 किलोमीटर बहती है। अगर उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ दें तो दोनों पार 600 किलोमीटर अकेले बिहार में गंगा नदी बहती है। दोनों पार अपने विनाश से वह बिहार को हर वर्ष तबाह करती रहती है। खास कर के इस वर्ष जो अगस्त में बिहार में बाढ़ की विनाश लीला हुई इसमें बहुत से मवेशी मर गये, इन्सानों की जानें भी बाढ़ के कारण चली गई। बिहार के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित है। इसके अलावा एक और प्राकृतिक विपदा बिहार में है। स्पष्ट है कि बिहार में सब से अधिक संख्या में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं। जो गरीब हैं, वह पक्का मकान नहीं बना सकते है। उनके लिए तो झोंपड़ी ही काफी है। जब पछवा हवा चलती है चैत और वैशाख के मास में तो हज़ारों झोपड़ियां बिहार में जल कर राख हो जाती है। यह आज हमारे गांवों के गरीबों की गम्भीर समस्या हो गई है। बिहार सरकार ने बार बार केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, अपने पत्रों के माध्यम से, लेकिन केन्द्र सरकार के कान में जूं तक नहीं

रही उल्टे जो रिपोर्ट पढ़ी गयी है माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको अगर देखा जाए और गौर किया जाए तो उन्होंने दर्शाया है कि बाढ़ से प्रभावित चालू वर्ष के दौरान उन्हे आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, मिज़ोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

बहुत अच्छी बात है माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, मिजोरम, उड़ीसा और पंजाब राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि बाढ़ के कारण जो राज्य इस देश में बरबाद हो गए हैं उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। इस पर किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन विरोध तब होता है जबकि एक ही पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में राहत सहायता दी जाती है और अगर उस पार्टी के द्वारा शासित राज्य नहीं है तो वहां प्राकृतिक आपदा की सहायता नहीं दी जाती है और तब शक की सुई केन्द्र सरकार की ओर घूम जाती है कि क्या यह देश एक नहीं है, क्या यह देश किसी एक खास पार्टी का है और उस खास पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में ही प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता सरकार या उसके माध्यम से दी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम इतनी तो जरूर कृपा कीजिए कि प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण नहीं कीजिए। इसमें निष्पक्ष भाव से सहायता कीजिए चूंकि बड़ी विपत्ति आती है। बिहार में जो विपत्ति आई उसमें सारे किसानों के खेतों में वृक्ष गिर गए, खेत कट गए, साथ साथ जो मिट्टी के घर थे, झोपड़ियां थीं वे सब बरबाद हो गए।

हमारे महाराष्ट्र में भुसावल में केले की व्यापक खेती होती है। उसी तरह से खास करके हमारे कटिहार जिले में जहां से मैं आता हूं भुसावल की तरह केले की व्यापक खेती होती है। एक हेक्टेयर में 50 हजार रुपए का खर्च केले की खेती में आता है। किसानों का 90 परसेंट केला भागलपुर, कोटेहार, अटारिया और पूर्णिया जिलों में बरबाद हो गया है। आज किसानों के सामने भुखमरी की समस्या है। इसलिए मैं श्री जनार्दन यादव जी के द्वारा उठाए गए इस गंभीर सवाल का समर्थन करता हूं और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 27-28 सितम्बर का सप्ताह में एक प्रलयकारी बाढ़ आई, वर्षा और तूफान आए, फिर जब किसान तैयार थे अपने खेत में बुआई के लिए, तो सरकार ने भी स्वीकार किया है अपने वक्तव्य में कि फिर से एक साइक्लोन, चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा और 9-10 नवम्बर को बिहार के बचे हुए जिलों को भी आंधी एवं वर्षा से बरबाद कर गया। किसान अपने खेत में बोआई ठीक समय से नहीं कर पा रहा है जिसके कारण से गंभीर समस्या हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को अभी तक मात्र 49.4 करोड़ जितना है सामान्य आपदा कोष मे मिला है, उससे ज्यादा सहायता नहीं दी गयी है। बिहार के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। इसलिए बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए और बिहार सरकार ने अपने पत्र के माध्यम से जो मांग की है उसके अलावा कम से कम पौने 16 सौ करोड़ की राशि उसे दी जाए जिसके माध्यम से बिहार का विकास हो सके और जो बाढ़ और वर्षा से क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI RAMESHWAR THAKUR (Bihar): Madam, there have been problems arising out of the flood situation this year. I will confine my observations to the State of Bihar. According to the Report of the National Commission on Floods, Bihar has been identified as the most flood-affected State in the country. Therefore, Bihar's problem should be understood in the proper perspective. Out of the geographical area of 173.50 lakh hectares of the State, about 68.8 lakh hectares, i.e. 39.56 per cent of area, is flood prone, affecting 5.12 crores of population of Bihar. According to the report of the State Government of Bihar, out of 55 districts, 26 districts had floods, 12 out of these 26 districts had very severe floods. Those districts are Bhagalpur, Banka, Sahibganj and Godda in the South Bihar and Sheohar, Sitamarhi, Muzaffarpur, West Champaran, Darbhanga Madhubani, Saharsa, Medhepura in the North Bihar. Population of about 66.01 lakhs of human beings and 8.13 lakhs of cattle and about 8,083 villages in 26 districts spread-over 384 blocks have been affected by the floods. The losses, as estimated by the Government and the

minimum that could be said and as Shri Janardhan Yadavji has said, may be more. That is, what the people feel in the areas of South Bihar districts. The loss of human life is 455, out of which Bhagalpur alone accounts for 100, Banka 53, and Godda 28. This is according to the Governemnt report. The total is 181. The total of cattle loss is 3310. Out of this Bhagalpur accounts for 1,712, Banka 694, Deoghar 327, Godda 72 and Sahibganj 59. The total is 2,864 in these five districts. The houses which have been completely washed away and destroyed are 1,79,210. The number of houses which are partially damaged is 95,436. Out of this in banka 65,998, in Bhagalpur 37,685, in Sahibganj 26,126 and in Godda 11,608. Out of these four district, 1,41,377 houses have been completely destroyed and people are in great misery. I have gone there and seen the villages. They have visited the villages where people are suffering. They have no place to live. They are under the trees, they are taking shelter in other houses, verandahs and elsewhere. This is the situation begin faced by the people in those area. Huge losses were suffered and the State Government have requested for large funds and the Members of this House have also spoken about this. There are two areas, first I am mentioning about housing. According to the standards of Indira Awaas Yojana for constructing 1,79,210 houses which have been completely destroyed, an amount of Rs. 450 crores is required. For provisions food, clothing, utensils, fodder etc. a further amount of Rs. 199 crores is required. Roads are damaged, hospital buildings, pucca residential buildings, public buildings, irrigation works etc. were also washed away and the loss on this account comes to about Rs. 325 crores.

Relief has been given under the Calamity Relief Fund. It has been mentioned. Three instalments were given. The first two instalments were Rs. 18.40 crores. Then, immediately after the floods, i.e. on 3rd October, Rs. 9 crores and 20 lakhs were given; again, Rs. 9 crore and 20 lakhs were given on 19th October. The total amount is Rs. 36.8 crores for this year. This is against the loss of more than Rs. 1,000 crores! This has been due to the unprecedented floods this year.

Some friends have said about the unprecedented rains in other areas. In Bihar also, the rains this year have been unprecedented in several areas. For example, in Banka, the normal rainfall in September is 208 mm, but the rainfall there was 628 mm. This was, virtually, in two days' time. In Bhagalpur, against the normal rainfall of 218 mm., the actual rainfall was 622 mm. In Sahibganj, against the normal rainfall of 263 mm., there was a rainfall of 820 mm. In Pakur, against the normal rainfall of 281 mm., it was 794 mm. In Godda, against the normal rainfall of 192 mm.,—this is, in fact, a drought-prone area— it was 576 mm. The rainfall was virtually, three time more. This has created a havoc and caused unprecedented misery to the people. People are still suffering.

I have a feeling that the State Government could not do much, due to lack of resources and otherwise. I would say that it is a national problem. Twenty-six districts have been affected. Whatever relief measures were undertaken were meagre. Some foodgrains and some medicines were made available. Some relief was given to the relatives of the persons who lost their lives. But I would like to bring out one thing here. It has been rightly pointed out by another Member also here. I have personally verified this. In some cases, the loss is accepted, but the money is not given because the body has not been found so far. Money has been sanctioned by the State Government. The money-Rs. 20,000; it is not much—is lying with the District Magistrate, but is not being released because they say that the body has not been found. There is some mention in the Relief Code that the body must be identified. How can we have this kind of a thing? It is known to everybody. Everybody in the village knows. The local officials know. The Panchayat knows. The block official

knows. Even when everybody knows that the man is gone, relief is not being given. I would say that the relief measures were not taken as speedily as the should have been taken.

The suffering of the people is tremendous. One friend mentioned about Latur. It was highlighted in the national media. I must say that the misery of the people of Bihar has not been fully reflected; particularly, the floods in South which was unusual because South Bihar has been free from floods, as has been drightly pointed out here. For the first time, there have been such unprecedented floods. It has played havoc with the lives of the people. Hundreds of people lost their lives. A large number of cattle has been lost. The damage to public property has been extensive. Communication links were not there for quite sometime. Communication links were not there for quite sometime. Even today, there are problems. I have returned from there only about a week ago. The damaged roads have not yet been repaired fully. There are no funds for that.

I would like to get some clarification from the hon. Minister. We understand, 60,000 houses have been sanctioned by the Ministry of Rural Areas and Employment. Mr. Janardan Yadav said that it was not a fact. I do not know how he says this. We immediately wrote to the hon. Prime Minister. I had the privilege of meeting the hon. Prime Minister. He showed full sympathy for the cause of the suffering people and he directed that immediate relief should be given. He also directed that a team should be sent. The team has visited Bihar. The hon. Minister for Rural Areas and Employment, Dr. Jagannath Mishra, visited Banka as well as Bhagalpur. He made certain announcements. But according to me, it is not adequate. Now, 60,000 houses have been sanctioned for Bihar—40,000 houses for South Bihar and 20,000 houses for North Bihar.

I have said that 1,47,000 houses have completely been destroyed in south Bihar. Against that, only 40,000 have been given for houses. Even some districts have been omitted—I have confirmed it today with the hon. Minister that they said 40,000 for four districts — Banka, Bhagalpur, Sahibganj and Pakur. In Godda district—which is my district—11,608 houses have completely been destroyed. According to the Government report, that is the minimum. But there is no provision for even a single house. This has to be looked into and adequate provision should be made. But my request would be that all the houses which were kachcha houses or those belonging to the poorer sections of people like Harijans, Adivasis and other weaker sections of the society—most people belonging to the poorer sections of the society own only kachcha houses; pucca houses are built by well-off people — which number in all for whole of Bihar 1,79,210 should be brought under the Indira Aawas Yojana or any other scheme for the restoration of these houses to the people who have lost their houses.

Secondly, now it is the winter season. People are suffering because the cold is increasing. No blankets have been distributed to them. Very little relief has been given to the people. In some places, some arrangements have been made for their stay. I would very much urge that before the houses are constructed—which must be done for all the people who have suffered—some help must also be given for repairing those 95,000 houses which have been partially damaged so that those are restored. Before this is done distribution of blankets and provision of other facilities for their stay, etc., should be extended to the affected people. Some arrangement should be made for temporary shelters like tents and other arrangements by the Government for the people who are in great suffering—the poor people—because they have no shelter and they are in difficulty. Therefore, this should also be done.

I would like to know from the hon. Minister what is the recommendation of

the Central team which had visited Bihar in the last week of November. The statement says that other steps would be considered by the National Calamity Relief Committee. I would like to know when the case of Bihar would be considered, what the recommendation is and, against the estimated loss of more than Rs. 1,000 crores—actually it goes much beyond that—what is the relief that the Central Government is going to give to the State Government to meet the hardship.

Now, the report has rightly said that the Seventh Finance Commission has recommended "calamities of rare severity" for relief from the National Calamity Relief Fund. I would like to very much urge upon the hon. Minister that this flood, particularly in south Bihar, was a calamity of rare severity in that this kind of a calamity was not there any time before this and, therefore, I would request that special consideration should be given to assist the people who are in great misery.

There is one more thing which I would like to state here. Even the State Government should work more actively with regard to the management of floods, particularly in those areas which are not otherwise flood-prone. In this particular case, the flood came suddenly, people were caught unawares because they were not prepared for it and now they are in great difficulty. Therefore, the State Government should make speedy arrangements for the disbursal of funds at their disposal and also grant relief to the poorer sections of the community. I feel that many of those areas are covered by the Assured Employment Scheme. Therefore, the Assured Employment Scheme should be implemented more thoroughly and speedily in those areas so that the people who are in difficulty would at least get some employment, some job. Other rural development programmes, particularly the Jawahar Rozgar Yojana, should be implemented more speedily in those areas so that in those areas roads could be restored, irrigation facilities which were damaged could be restored and other facilities provided for the affected people. I have a feeling that safety measures were not taken.

After the rains, only six or four months are now left. Within these months, the funds made available to the State Government from the Central Rural Development Programmes' funds should be spent. Particularly in this area, special teams should see that these funds are spent for the benefit of the people and for the restoration of the properties and facilities which have been completely destroyed

I would like to say one last thing. In any case, when these calamities occur suddenly the responsibility, according to the Report of the Finance Commission, lies primarily with the State Government and also with the Central Government and we must have very effective programmes, and they should be implemented speedily. The matter should not be delayed. Therefore, I urge upon the hon. Minister that the assistance needed by Bihar, particularly the South Bihar because of the severity of the conditions there, should be given without further delay so that necessary steps can be taken. The State Government also must gear up its machinery to ensure that the people who are suffering should be helped to the extent possible and as early as possible.

Assurances have been given. Sixty thousand houses have been given. The State Government has to implement the scheme. The remaining houses also should be allocated. This year, the number of houses have been raised from 4 lakhs to 10 lakhs. I think, these additional houses should be given to those people who have lost their houses. The construction of houses by the District Administration should be taken up immediately so that the people who are in great difficulties, could be provided with houses. This is the minimum need. Also, other programmes of development should be implemented speedily, so that the suffering people should be given some relief as early as possible.

Thank you.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): मैडम् उपसभाध्यक्ष महोदया, इतनी देर से बाढ़ के सवाल पर इस सदन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यह तय करना मुश्किल लग रहा है कि जो बाढ़ पीछे चली गई या जो बाढ़ आने वाली है चार-छः महीना बाद, उसके लिए बहस कर रहे हैं। हम लोग दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कितना गंभीर हैं यह इसी से लग रहा है कि जुलाई-अगस्त की आई हुई बाढ़ के बारे में दिसम्बर के महीने में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है मैडम्, कि क्या हिन्दुस्तान की.... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बिहार में नवम्बर में भी बाढ़ आई थी।

श्री जनेश्वर मिश्र: क्या हिन्दुस्तान की नदियां अपनी मरजी से चलेंगी या हम जो लोग-आदमी कहलाते हैं, अकलमंद कहलाते हैं वे अपनी मरजी से उनको चलाएंगे। बाढ़ हिन्दुस्तान में ही तो आती नहीं। हम प्रारम्भ में मिसिसीपी, मिसोरी और हांग हो नदियों की बाढ़ की प्रलय लीला के बारे में बहुत पढ़ा करते थे। आज वह नदियां, यह मंत्री जी तो नहीं बता पाएंगे कृषि मंत्रालय का यह विषय नहीं। योजना मंत्री, सिंचाई मंत्री यहां होते और बैठकर बातें करते। तो क्या कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि हिन्दुस्तान की नदियों को कैद किया जा सकता। अपनी मरजी से जिधर चाहें उधर पानी ले जाया जा सके। क्योंकि एक इलाके में बाढ़ आती है और दूसरा इलाका सूखा रहता है। बहुत दिनों से के०एल० राव जी जब सिंचाई मंत्री थे तब इंदिरा जी के जमाने में यह बात चली थी कि नदियों के पानी को इधर से उधर किया जाए। लेकिन वह बातें अभी तक पड़ी की पड़ी रह गई हैं। लेकिन वह बात खटाई में पड़ी की पड़ी रह गई है। हिन्दुस्तान में बाढ़ की तो अजीब स्थिति है। जो नदियां है उनका अपना अजीब चरित्र है। बाढ़ एक तरफ से तो हिमालय की तरफ से आती है और दूसरी तरफ समुद्री तूफान की तरह से। जो छोटे-छोटे नाले की किस्म की नदियां है जिनको हम लोग दक्षिण के पठार के नाम से जानते थे उस से जो नाले बहे वे नदी हो गये और बड़ी-बड़ी नदियां भी हैं, उन नदियों के तरफ आता हूं। हिमालय के रास्ते से जो नदियां बहती हैं, उनमें एक नदी को तो बेटा कहा जाता है ब्रहमपुत्र वह पुत्री नहीं है तो वह जिस तरह से तबाह करती है। यहां बिहार के लोग चिल्ला रहे थे तो लगता था कि बाढ़ केवल बिहार में आई है केवल सुरजेवाला साहब को छोड़ कर। लेकिन ब्रहमपुत्र नदी जो बाढ़ लाती है वह ऐसी नहीं कि एक बार आई होगी वह हर साल लाती है और वहां के लोगों के तो कहीं पक्के मकान हैं ही नहीं। बिहार में भी जहां बहुत बाढ़ आती है वहां पक्के मकान नहीं बनाते। नरेश यादव की बात मैं समझ रहा हूं। बिहार में एक जिला है जिस का नाम छपरा है। हमने जाकर के पूछा कि ऐसा नाम क्यों रखा तो कहा कि देखो न यहां गंगा नदी और सरयू नदी की बाढ़ आ जाती है, तो हर साल हमारे मकान गिर जाते हैं तो हम लोग छप्पर खड़ा करके रखते हैं तो हमारे शहर का नाम ही छपरा है लेकिन उस के साथ दर्द यह होता है कि एक बार तो बाढ़ आती है और हमारे छप्पर गिरती है और जैसे ही हम दूसरा छप्पर खड़ा करते है दो महीने बाद गर्मी आती है, तीन महीने के बाद गर्मी के दिनों में आग लगती है और पूरे का पूरा छप्पर साफ हो जाता है, तो एक तरफ पानी और दूसरी तरफ आग। इस के बीच में नदी की चपेट में जीने वाला आदमी अपनी जिन्दगी जीता है मैं सरकार से साफतौर से जानना चाहूंगा कि क्या इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाने के लिए दस साल, बीस साल, पचास साल यह सरकार ही नहीं जो कोई भी सरकार आये एक हमेशा के लिए एक गाइड लाइन तय कर दी जाये कि हिन्दुस्तान में जो नदियां बहती हैं, उनका कन्ट्रोल कर दिया जायेगा, अपनी मर्जी से नदियों को बहने नहीं दिया जायेगा बल्कि अपने देश के हित के लिए,कल्याण के लिए उनका इस्तेमाल किया जायेगा।

हम जानते हैं कि जो उत्तर भारत के सूबे हैं, उनमें सबसे ज्यादा बिहार पीड़ित रहता है। ये जो नदियां बहती हैं हिमालय से इनमें से गंगा की बाण नदियां बिहार मेंबालू छोड़ देती हैं, बिहार जगन्नाथ मिश्र जी का सूबा है, अब के तो पता नहीं इनके किसी दोस्त ने इनको तनखइया घोषित किया है, तो ये उस इलाके में जाते ही नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि ये नदियों के इलाके में गये हैं या नहीं गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र): हम पूरे इलाके में घूमते हैं। मैं सभी जगह गया हूं, मैं बांका में गया हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र: लेकिन बिहार में और भी करिश्मे होते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री को तनखइया घोषित किया जाता है, नरेश यादव जी हमने सुना है और अखबार में भी पढ़ा है। गंगा का पानी मिनरल वाटर की तरह से बेचा जाएगा। मेडम, हमको बड़ी हंसी आई। गंगा नदी का पानी किसी भी मिनरल वाटर से ज्यादा पवित्र होता है। उसमें वेक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु बहाव में आते हैं उनको वह खा जाता है। सरजू का पानी हम दस दिन बोतल में रख दें तो सड़ जायेगा, कीड़ा आ

जायेगा। यमुना का पानी, कृष्णा गोदावरी का पानी रख दें तो 15 दिन में सड़ जायेगा, परन्तु गंगा नदी का पानी पांच साल भी बोतल में रखिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): गंगा नदी ढ़के पहाड़ों में बहती है। **(व्यवधान)...**

श्री जनेश्वर मिश्र: तो वह बहुत पवित्र पानी है लेकिन जब हमने पढ़ा था तो हम को बहुत ताज्जुब हुआ था कि ये कोई साधु-सन्यासी हरिद्वार से पानी ले जा कर के बम्बई में बेचते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता था लेकिन हम सियासत करने वालों को यह बात नहीं बोलनी चाहिए।

असल सवाल तो यह है कि गंगा नदी को रोकें कैसे। गंगा नदी, हरिद्वार में बाढ़ कभी नहीं आती। ऋषिकेश में बाढ़ कभी नहीं आती। गढ़मुक्तेश्वर में मेला लगता है, यहां बाढ़ नहीं आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पेटी चौड़ी होती है, रेत बढ़ती जाती है और कानपुर के आगे जाते जाते बाढ़ शुरू कर देती है। इलाहाबाद, बनारस, बलिया, गाजीपुर और उसके बाद पटना में धुंआधार तमाशा करती आती है। सारी नदियों की यही तस्वीर होती है। लेकिन गंगा नदी, क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है, आधा चलने के बाद बाढ़ लाया करती है। पहले जब कलकत्ता से इलाहाबाद-कानपुर तक स्टीमर चलते थे तो उनका रास्ता बनाने के लिए बालू साफ किया जाता था। उस की पेटी साफ की जाती थी ताकि उसकी धारा बनी रहे। वैसे हम स्टीमर लाने के खिलाफ हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका मोबाइल जो नदी में गिरता है उसके बैक्टीरिया उससे मर जाते हैं। गंगा नदी में गंदगी जो कानपुर में गिरती है वह एक किलोमीटर जाने के बाद उस गंध का कोई असर नहीं होता। इलाहाबाद में जो गिरता है तो दो किलोमीटर जाने के बाद वह साफ हो जाता है। गंगा नदी में जब जमुना नदी का नीला पानी मिलता है, इलाहाबाद में तो एक किलोमीटर जाने के बाद उस पानी का नीलापन बंद हो जाता है। उसके गुण मैं जानता हूं। बहुत अध्ययन किया है। उस इलाके में रहता भी हूं।

जहां पर वह बालू छोड़ती गई तो स्टीमरों के लिए बालू साफ किया जाता था लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वहां का बालू हटाने की कोई योजना मंत्रालय ने, सिंचाई मंत्रालय ने कभी नहीं बनाई, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। हमको याद है, मंत्री जी ने कहा था कि मानसून समुद्र की तरफ से आए और खाड़ी के क्षेत्रों में दबाव बढ़े और यह उत्तर में चला आए—और इस बार अनहोना मानसून भी आया है। लेकिन पिछले सत्र में मंत्री जी ने कहा कि इस साल फसल अच्छी होगी तो हम बाहर से कोई गल्ला नहीं मंगायेंगे। यह मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। जब हमारी फसल बढ़िया होगी, मानसून समय से बरसेगा, खेती अच्छी हो जायेगी तो सरकार अपना सीना ठोंककर दावा करेगी कि हम आत्मनिर्भर हो गए है। लेकिन अगर बाढ़ आ गई तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? कुदरत को, भगवान को, गंगा मैया को या इस सरकार को, किसको जिम्मेदारी दी जाए। मैं मांग करुंगा कि चाहे कोई भी सरकार रहे, इस बात को हम मान लें कि नदियों के जरिए या कुदरत के जरिए जिस किसी आदमी का जितना नुकसान हुआ है, उसकी सम्पूर्ण भरपाई सरकारी खजाने से होनी चाहिए। इससे कम पर और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जब नदियों में बढ़िया पानी आएगा, जब मानसून बढ़िया जाएगा तब सरकार इस सदन में दावा करेगी कि इस बार हम बाहर से गल्ला नहीं मंगायेगा और जब मानसून बिगड़ जाएगा, मामला काबू के बाहर चला जाएगा कि नदियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं यह कहना क्या उचित है? इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इस सरकार को सीधे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है। इन सवासलों को बहुत मजाक में लेते थे हम। तो इस देश के एक नेता ने जो मालिक भी था वह जब बाढ़ बहुत आई थी तो हम लोग वालेंटरी कर रहे थे और पीड़ित लोगों के बीच में राशन, कपड़े, तेल नमक बांट रहे थे। अखबार में छपा था कि नदियों की बाढ़ से घबराना मत। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जमीन उपजाऊ हो जाती है। तो हमारे नेता डा० लोहिया, इलाहाबाद आए थे। हम तो बड़े दुखी थे। हमने कहा कि हम लोग तो इनमें राशन बांट रहे हैं और हमें यह कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार यह बाढ़ दिल्ली में आ जाती और गांव का आदमी यह कहता कि अब दिल्ली की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी—अब की बार अटपटी किस्म की बाढ़ आई है, दिल्ली में भी थोड़ी आई है लेकिन वह गरीब लोगों के मुहल्लों में आकर रह गई। अगर वह रेस कोर्स की तरफ चली आई होती, इधर चली आई होती तो हिन्दुस्तान के वे पीड़ित जो छपरा में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं कि वे वहां से बैठकर निहारते रहते कि अब बाढ़ का क्या हो रहा है। सच यह है कि बाढ़ उस इलाके में आती है जहां गरीब बसते हैं। बाढ़, जहां बिरला की कोठी है वहां नहीं आती, जहां बड़े आफिसरों की कोठियां हैं, कलक्टर की कोठी है, इंजीनियर की कोठी है, वहां नहीं जाएगी। जहां हम लोग रहते हैं, जहां गरीब

लोग रहते हैं वहां बाढ़ आती है। हम दिल्ली में बैठकर कहते हैं कि हमने इतनी राहत पहुंचाई। रामेश्वर ठाकुर जी कह रहे थे कि सेंटर ने इतनी मदद की। कोई लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगाए, कोई भजनलाल पर आरोप लगाये, इससे काम चलने वाला नहीं है।

एक तरह तो दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाले लोग, चाहे आज के लोग हों, चाहे आज के पहले के लोग हों, चाहे आने वाले लोग हों, उनकी गारंटी देनी पड़ेगी उन गरीब लोगों को जो 60 सैकड़ा है, 70 सैकड़ा हैं। कभी-कभी अनहोनी बाढ़ के कारण भविष्य में दस साल, बीस साल या पच्चीस साल में योजना बनाकर, हम ऐलान करते हैं कि हिन्दुस्तान की नदियों को इस तरह से कैद करके, इनके पानी को इस तरह से डाइवर्ड करेंगे कि तुम्हारे यहां बाढ़ की समस्या नहीं होगी। एक तो यह गारन्टी देनी पड़ेगी कि जब तक यहां बाढ़ आती है तब तक जिसका जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई सरकारी खजाने से होनी चाहिए। बहुत संक्षेप में मुझे ये दो-तीन बातें आपसे निवेदन करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन पर सरकार तवज्जो देगी।

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, बाढ़ की स्थिति पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है, उस पर बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए कि भारत की जनता की यह नियति बन चुकी है। 48 साल की आजादी के बाद भी भारत को एक बड़े हिस्से में बाढ़ का आना अनिवार्य है और दूसरे हिस्से में सूखा पड़ना भी अनिवार्य है। भारत की जनता बाढ़ और सूखे की नियति में प्रतिवर्ष इस प्राकृतिक विपत्ति के कष्ट से त्राहि-त्राहि करती है, लेकिन भारत की सरकार ने एक राष्ट्रीय जल-नीति अगर बनाई होती और बाढ़ नियंत्रण से सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया होता तो शायद इस स्थिति पर भारत सरकार की संसद में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं पहला सुझाव देना चाहता हूं कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय जल-नीति, समुचित जल-नीति बनाए।

दूसरा मेरा सुझाव है कि राज्यों के अन्दर या दो-तीन राज्यों को मिलाकर बाढ़ नियंत्रण यह सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ही एक मात्र रास्ता है, जिससे हम बाढ़ को नियंत्रित करके नहरें निकालकर, रिजरवायर बनाकर हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं और जहां पर वाटर लोगिंग है, वहां भी समाप्त कर सकते हैं जल जमाव। जहां पानी नहीं है वहां पानी भी पहुंचा सकते हैं। इस तरह से पूरे देश के अन्दर जो प्राकृतिक विपत्ति है, आपदा है, बाढ़ और सूखे की उसको हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पर सरकार को राष्ट्रीय हित में और जनहित में, किसान और मजदूरों के हित में विचार करना चाहिए और जो इतनी बरबादी हुआ करती है, माल, धन तथा जन सबकी, उस पर सरकार को विचार करना है। पिछले साल हमने बिहार की बाढ़ की स्थिति पर विशेष उल्लेख के माध्यम से केन्द्र सरकार को कहा था। कि सरकार में सहायता प्रदान करनी है, 94 में, मंत्री जी यहां मौजूद हैं, इन्होंने ही चिट्ठी लिखी उसके जवाब में। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने तो कोई मांग ही नहीं की है, शायद राज्य सरकार इस मामले में सक्षम है, वही राहत पहुंचाये तो मैं चुप रहा, लेकिन इस बार बिहार सरकार के ऊर्जा और पुनर्वास मंत्री ने जो खत लिखा है हम सांसदों को, मुझे आज ही मिला है। उसमें उन्होंने जो बताया है उसको मैं आपके सामने इस सदन में रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि बाढ़ से प्रभावित ज़िलों की संख्या बिहार में 26 है। यह है शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चम्पारण, खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर, कटिहार, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मधेपुर, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, बांका, भागलपुर, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, मुंगेर, बेगूसराय, दुमका और गिरिडीह। यह 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित प्रखण्डों की संख्या 177 है। बाढ़ से प्रभावित पंचायतों की संख्या 1704 है। बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या 70,50,700 है। बाढ़ एवं अग्निकांड से प्रभावित गांवों की संख्या 8033 है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रफल 9.25 लाख हेक्टेयर है। बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र 4.23 लाख हेक्टेयर है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते है कि बाढ़ से, कटाव से कितने गांव प्रभावित हुए हैं और कितनी बरबादी हुई है। अभी हमारे ठाकुर साहब बोल रहे थे कि चार सो कुछ लोग मरे लेकिन मरने वालों की संख्या जो बिहार सरकार ने दी है, वह है 529। मरने वाले पशुओं की संख्या 4122 है। बाढ़ से प्रभावित पशुओं की संख्या 123.66 लाख है। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य 20,15,07,000 रुपये है। इस सिलसिले में गौर कीजिये, ये आंकड़े हैं। इनको यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बरबादी हुई है। बिहार के उन क्षेत्रों में भी इस बार बाढ़ आई है जहां कभी पहले बाढ़ नहीं आती थी जैसे बांका, गोड्डा, साहेबगंज, देशवर। दुमका आदि ऐसे जिले हैं जब से हमने होश सम्भाला है हमें याद नहीं है कि कभी बाढ़ आई हो। जनार्दन यादव जी को भी याद नहीं होगा। लेकिन इन प्राकृतिक विपदाओं से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से,

अभी सुरजेवाला जी बोल रहे थे, कुछ तो वे ठीक बोलते हैं लेकिन सरकार के बचाव में चले जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह विपक्ष और सत्ता पक्ष का सवाल नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है और पूरे देश की जनता को बाढ़ से राहत देने का सवाल है। कांग्रेस की भी जनता बाढ़ से प्रभावित है, भाजपा की भी जनता बाढ़ से प्रभावित है, सी०पी०आई० की भी जनता बाढ़ से प्रभावित है, सी०पी०एम० की भी प्रभावित है इसलिए सवाल है जनता को राहत देने का और सरकार चाहे किसी भी दल की हो उस सरकार की जवाबदेही होगी। प्राकृतिक विपदा में समुचित राहत पहुंचाई जाए। जो मकान बरबाद हो गये हैं, उनका पुनर्वास किया जाए। किसानों की जो फसल मारी गई है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार मंत्री जी ने कहा था कि बिहार सरकार मांग ही नहीं करती है तो देने का कहां प्रश्न है? फिर कुछ लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि यह तो राज्य की सूची का मामला है। यह कोई सूची का मामला नहीं है। मानव सूची का मामला है। मानवीय मूल्यों का मामला है। सब से बड़ा मूल्य है मानव की सुरक्षा, इससे बड़ी सूची क्या होगी चाहे वह केन्द्रीय सूची हो, राज्य सूची हो या समवर्ती सूची हो। सभी सूचियों से बड़ी सूची प्राकृतिक विपदा से मानव की हिफाज़त करना है।

इस बार बिहार में बाढ़ से अधिक जिलों के प्रभावित होने एवं बाढ़ की तीव्रता के आधार पर हुई क्षति के लिए भारत सरकार को एक संलेख के द्वारा कुल 975 करोड़ 80 लाख रुपये की मांग की गई थी।

4 P.M.

और दुबारा भी उन्होंने मांग की। कुल मिलाकर बिहार की मांग के 1102 करोड़, 28 लाख 46 हजार रुपए की। तो आप देखेंगे कि 36 का आंकड़ा है। आप कहेंगे बिहार क्या करता है। तो बिहार और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति से आप परिचित है। चाहे वह कांग्रेस शासित राज्य सरकार है या गैर कांग्रेसी पार्टी के द्वारा शासित राज्य सरकार है।

19-20 का अंतर वित्तीय मामलों में पड़ेगा, नहीं तो आम तौर पर वित्तीय स्थिति गड़बड़ है। तो इनको राहत देने के संबंध में हम कहना चाहेंगे कि मंत्री जी बताएं जवाब देने के समय कि बिहार सरकार को इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक विपदा कोष से या प्रधान मंत्री कोष से कितने रुपयों की मदद की? फिर यह है कि भारत सरकार के एक केंद्रीय दल ने 24.11.95 से 26.11.95 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और क्षति का आंकलन किया था। लेकिन अभी तक भारत सरकार से कोई भी अतिरिक्त सहायता नहीं मिली है। मैं भी ठाकुर साहब से सहमति जताते हुए कहना चाहता हूं कि उस जांच दल ने जो आंकलन किया, उसके आंकलन की जो रिपोर्ट है वह क्या है, यह बताया जाए। उस दल ने कुछ सहायता के लिए भी केन्द्र को सुझाव दिया या नहीं? सदन को आप यह भी बताएं। इस सिलसिले में हम कहना चाहेंगे कि बिहार को काफी क्षति हुई है। इसके अलावा बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की हुई है। उड़ीसा के बारे में हम कहना चाहते हैं मंत्री जी कि उड़ीसा के अंदर भी इसी वर्ष बाढ़ से खास करके तीन जिले काफी प्रभावित हुए हैं—एक गंजाम, दूसरा बालासोर और तीसरा जगतसिंहपुर। ये तीनों बाढ़, वर्षा और तूफान से, साइक्लोन से प्रभावित हैं। उड़ीसा के इन तीन जिलों में काफी बरबादी हुई है। फसल मारी गयी है और पेय जल तथा सिंचाई के जो स्रोत्र हैं वे काफी बरबाद हुए हैं। सड़कें टूट गयी हैं, पुल और पुलिया टूट गए हैं। ऐसी स्थिति में, बिहार में तो मान लीजिए कि आपकी सरकार नहीं है लेकिन उड़ीसा में तो अभी आप ही की सरकार है तो कितनी मदद आपने दी? हमारे पास वहां की चिट्ठी आई है इसलिए मैं कह रहा हूं। यह तीन जिलों की हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी बरबादी है जिसका हल्का फुल्का जिक्र हमने किया है उसके मुताबिक सहायता और पुनर्वास और दूसरे तरह की मदद नाकाफी है। बिहार की बरबादी तो सबसे अधिक हुई है। मेरा यह कहना सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। मेरा कहना यह है कि देश के जिन राज्यों में जिस हद तक बाढ़, वर्षा और तूफान से बरबादी हुई है उन राज्यों को समुचित मदद पुनर्वास के लिए कीजिए। वहां पेयजल के या सिंचाई के स्रोत्रों को बनाने के लिए, सड़कें जो बरबाद हो गयी है उनको बनाने के लिए, मकान जो ध्वस्त हो गए है उनको बनाने के लिए और अन्य तमाम कामों के लिए—जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र से भरपूर सहायता कीजिए।

अंत में मैं पुनः यह दोहराना चाहता हूं आपके सामने कि आप राष्ट्रीय जल नीति बनाइए। 48 साल बीत गए बाढ़ नियंत्रण को आप नहीं कर सकें। आप सूखा पर नियन्त्रण नहीं कर सके तो क्या यह लाइलाज़ है? हमको याद है कि भारत से पीछे चीन में नई सरकार आई। चीन की सरकार ने वहां की जनता को और अपनी सरकार को कहा, और हम लोग पढ़ते थे और मंत्री जी भी पढ़ते होंगे, भूगोल में पढ़ते थे ह्वांग-हो नदी चीन का अभिशाप है तो चीन की सरकार ने, माओ-त्से-तुंग की सरकार ने कहा दोनों को, सरकार को भी और जनता को भी कि चीन के अभिशाप को समाप्त करने के लिए

हवांग-हो नदी की बांधो, तो सरकार और जनता ने मिल करके हवांग-हो नदी को बांध दिया और वह नदी जो चीन का अभिशाप थी वह अभिशाप प्रायः समाप्त हो गया। लेकिन यह संकल्प तो आप लीजिए। यह अभिशाप वरदान में बदल गया लेकिन 1948 के बाद दुख की बात है कि हमारी सरकार बाढ़ और सूखे से देश की जनता को निजात दिलाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं अपना रही है। कुछ इलाके जल के जमाव में हैं, कुछ इलाकों में पानी हो नहीं है, कुछ इलाका बाढ़ में और कुछ इलाका सूखा में, तो इस भारत की जनता को जो नियति आप बना दिए है इससे मुक्ति दिलाइये और बाढ़ नियन्त्रण से सिंचाई परियोजना बहुराज्यीय, राज्यों के अन्दर उसकी समुचित रूपरेखा तैयार करके इसको आप करेंगे तो आपका बिजली का संकट भी दूर होगा, बेरोज़गार नौजवानों को आप रोज़गार भी दे पायेंगे और इस प्राकृतिक विपदा का जो प्रतिवर्ष का रोना रोते है इससे भी हमको मुक्ति मिलेगी।

इन्ही शब्दों के साथ, हम आपसे मांग करते हैं कि बाढ़ पीड़ित लोगों की समुचित सहायता केन्द्र की ओर से सभी राज्यों में जिस हद तक बर्बादी है उसको करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं और मदद करें।

[]श्री जलील अब्बासी अंसारी (बिहार): उपसभापति महोदय, बाढ़ और सूखे की समस्या पर बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता है, इसलिए कि भारत की जनता की यह नियति बन चुकी है। 38 साल की आजादी के बाद भी कि भारत के एक बड़े हिस्से में बाढ़ आना निश्चित है और दूसरे हिस्से में सूखा का पड़ना भी निश्चित है। भारत की जनता बाढ़ और सूखे की नियति में बुरी तरह से त्राहि त्राहि करती है लेकिन भारत की सरकार ने एक राष्ट्रीय जल नीति अगर बनायी होती और बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया होता तो शायद इस समस्या पर भारत की संसद में चर्चा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं पहले समझाऊं देना चाहता हूं कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय जल नीति बनाये।

दूसरा सुझाव है कि राज्यों के अन्दर दो या तीन राज्यों को मिलाकर बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होना चाहिए। एक मात्र रास्ता है। जिस से हम बाढ़ को नियंत्रण करके नहरों निकालकर, रिजरवायर बनाकर, हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। और जहां पर वाटर लोगिंग है। वहां भी समाप्त कर सकते हैं जल जमाव। जहां पानी है। वहां पानी भी पहुंचा सकते हैं। इससे पूरे देश के अन्दर जो पैदावार है, वह दुगुना हो सकता है। बाढ़ और सूखे को हम समाप्त

[]Transliteration in Arabic Script.

ہے - باڑھ پر بھاوت جن سنکھیا ۷۰۰۵۵ ہے - باڑھ [illegible] گنگی کانڈ سے پر بھاوت گاؤں کی سنکھیا ۳۰۳۸ ہے - باڑھ سے پر بھاوت چھیتر پھل ۹ اعشاریہ ۲۵ لاکھ ھیکٹیئر ہے باڑھ سے پر بھاوت فصل چھیتر ۱۰ اعشاریہ ۲۳ لاکھ ھیکٹیئر ہے - اسطرح سے آپ انومان لگا سکتے ہیں کہ باڑھ سے کتنے گاؤں پر بھاوت ہوئے ہیں - اور کتنی بربادی ہوئی ہے - ابھی ہمارے ٹھاکر صاحب بول رہے تھے کہ چار سو لوگ مرے لیکن مرنے والوں کی سنکھیا جو بہار سرکار نے دی ہے - وہ ہے ۵۲۹ - مرنے والے پشوؤں کی سنکھیا ۱۲۲۱ ہے - باڑھ سے پر بھاوت پشوؤں کی سنکھیا ۱۲۳ اعشاریہ ۶۶ لاکھ ہے - چھتی گرست سارو جنک سمپتیوں کا انومانت مولیہ ۲۱۵۰۷۰۰۰ روپئے ہے - اس سلسلے میں غور کیجئے - یہ آنکڑے ہیں - انکو ہری آپ دیکھیں گے تو آپکو پتہ چلیگا کہ کتنی بڑی بربادی ہوئی ہے - بہار کے ان چھیتروں میں بھی اس بار باڑھ آئی ہے جہاں پہلے باڑھ نہیں آتی تھی - جیسے بانکا - گوڈڈا - صاحب گنج - دیوگھر - دمکا آدی ایسے ضلع ہیں - جسے ہمارے خوشی سنبھالا ہے - ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی باڑھ آئی ہو - جنا دن

کر سکتے ہیں - اسلئے اس پر سرکار کو وچار کرنا چاہیئے ہت ہیں اور جن ہت میں کسان اور مزدور کے ہت میں وچار کرنا چاہیئے - اور جو اتنی بربادی ہوا کرتی ہے - مال دھن تھا جن سبھی - اس پر سرکار کو وچار کرنا چاہیئے - پچھلے سال ہم نے بہار کی باڑھ کی استھتی پر "۲۰ میں" وشیش الیکھ کے ساتھ لیکر سرکار کو کہا تھا - کہ بہار سرکار کے اور جا اور پنروا س منتری نے جو خط لکھا ہے - ہم سانسدوں کو - مجھے آج ہی ملا ہے - اسمیں انھوں نے جو بتایا ہے - اسکو میں آپکے سامنے اس سدن میں رکھنا چاہتا ہوں - انھوں نے لکھا ہے باڑھ سے پر بھاوت ضلعوں کی سنکھیا بہار میں ۲۶ ہے - یہ ہیں - شیوھر - سیتامڑھی - پشچمی چمپارن - گھگھریا - پورنیا - سمستی پور لکھیسرائے - دربھنگہ - گوپال گنج - مظفر پور مدھے پورہ - مدھوبنی - پورو ی چمپارن - سیوان سہرسا - کشن گنج بانکا - بھاگلپور - صاحب گنج - دیوگھر - پاکڑ - گوڈڈا - مونگیر - بیگوسرائے - دمکا - اور کھگڑیا بہہ - یہ ۲۶ ضلع باڑھ سے پر بھاوت ہیں - باڑھ سے پر بھاوت پرکھنڈوں کی سنکھیا ۱۷۷ ہے - باڑھ سے پر بھاوت پنچایتوں کی سنکھیا ۱۷۰

کا معاملہ ہے - یہ کوئی معمولی کا معاملہ نہیں ہے - مانو معمولی کا معاملہ ہے - مانو یہ ہے موتیوں کا معاملہ ہے سب سے بڑا موتی لیکے ہے - مانو کی سمرکشا - اس سے بڑی معمولی کیا ہوگی چاہے وہ کریڈٹ ریٹنگ ہو - راجیہ معمولی ہو - یا معمولی معمولی ہو معمولی معمولیوں سے بڑی معمولی پر کرنک وپدا سے مانو کی حفاظت کرنا ہے - اس بار بہار میں باڑھ سے ۱۲ ضلعوں کے پربھاوت ہونے ایم باڑھ کی تیوہار تک آدھا پر ہوئی چھٹی پر کیلئے بھارت سرکار کو ایک سنایکھ کے دوارا کل ۷۵۶ کروڑ ۸۰ لاکھ روپئے کی مانگ کی گئی تھی - اور دوبارہ بھی انھوں نے مانگ کی - کل ملا کر بہار کی مانگ ہے ۱۱۰۲ کروڑ ۲۸ لاکھ ۴۶ ہزار روپئے کی - تو آپ دیکھیں گے - کہ ۳۶ کا آنکڑہ ہے - آپ کہیں گے کہ بہار کیا کرتا ہے - تو بہار اور راجیوں سرکاروں کی وتیئے استھتی سے آپ پری چت ہیں - چاہے وہ کانگریس شاست کی سرکار ہے یا غیر کانگریس پارٹی کے دوارا شاست راجیہ سرکار ہے - موٹا موٹی انیس بیس کا انتر وتیئے معاملوں میں پڑیگا - نہیں تو عام طور پر وتیئے استھتی گمبھیر ہے - تو انکو راحت دینے کے سمبندھ میں ہم کہنا چاہینگے کہ منتری بتائیں جواب دینے سے کہ بہار یا دوجی کو بھی یاد نہیں ہوگا - لیکن ان پرا کرتک وپتاؤں سے بچانے کیلئے کریڈٹ ریٹنگ سرکار کی طرف سے - ابھی سرجے والا جی بول رہے تھے - کچھ تو وہ ٹھیک بولتے ہیں لیکن سرکار کے بچاؤ میں چلے جاتے ہیں - میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویکتی یا سنتا پکش کا سوال نہیں ہے - یہ سوال پورے دیش کا ہے اور پورے دیش کی جنتا کو باڑھ سے راحت دینے کا سوال ہے - کانگریس کی بھی جتنا باڑھ سے پربھاوت ہے - بھاجپا کی بھی جتنا باڑھ سے پربھاوت ہے - سی - پی - آئی - کی بھی جتنا باڑھ سے پربھاوت ہے سی - پی - ایم - کی بھی پربھاوت ہے اسلئے سوال ہے جنتا کو راحت دینے کا اور سرکار چاہے کسی بھی دل کی ہو - اس سرکار کی جواب دہی ہوگی - پرا کرتک وپدا میں سمچت راحت پہنچائی جائے - جو مان برباد ہو گئے ہیں انکا پنروا س کیا جائے - کسانوں کی فصل جو ماری گئی ہے - اسکی چھتی پورتی کی جائے - اس سمبندھ میں میں آپکو بتانا چاہتا ہوں - کہ پچھلی بار منتری جی نے کہا تھا کہ بہار سرکار مانگ ہی نہیں کرتی ہے - تو دینے کا کہاں پرشن ہے پھر کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تو راجیہ کی معمولی

ہے۔ فصل ماری گئی ہے۔ اور پینے کے جل تھا سنچائی کے جو سروت ہیں وہ کافی برباد ہوئے ہیں۔ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں۔ پل اور پلیاں ٹوٹ گئے ہیں۔ ایسی استھتی میں بہار میں تو مان لیجئے کہ آپکی سرکار نہیں ہے۔ لیکن اڑیسہ میں تو ابھی آپکی سرکار ہے تو کتنی مدد آپنے دی۔ ہمارے پاس وہاں کی چٹھی آئی ہے اسلئے میں کہہ رہا ہوں یہ تین ضلع ہمارے پاس رپورٹ ہیں۔ جسمیں انھوں نے کہا ہے کہ جتنی بربادی ہوئی ہے جسکا ہلکا پھلکا ذکر ہم نے کیا ہے اسکے مطابق سہایتا اور پنروواس اور دوسرے طرح کی مدد نا کافی ہے۔ بہار کی بربادی تو سب سے ادھیک بربادی ہوئی ہے۔ میرا یہ کہنا صرف بہار کیلئے نہیں ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دیش کے جن راجیوں میں جس حد تک باڑھ۔ ورشا اور طوفان سے بربادی ہوئی ہے ان راجیوں کو سمچت مدد پنروواس کیلئے کیجئے۔ وہاں پینے جل کی یا سنچائی کے سروتوں کو بنانے کیلئے سڑکیں جو برباد ہو گئی ہیں انکو بنانے کیلئے مکان جو دھوست ہو گئے ہیں انکو بنانے کیلئے اور اپنے تمام کاموں کیلئے۔ جو چھتی ہوئی ہے۔ اسکی بھرپائی کیلئے کیندر سے بھرپور سہایتا کیجئے۔

سرکار کو اس برا کرتک آپدا سے نپٹنے کیلئے کیندر سرکار نے راشٹریہ پرا کرتک۔ وپدا کوش سے یا پردھان منتری کوش سے کتنے روپئے کی مدد کی۔ پھر یہ ہے کہ بھارت سرکار نے ایک کیندریہ دل نے ۱۹۹۵-۹۶ سے ۱۹۹۵-۹۶ تک پربھاوت چھیتروں کا دورہ کیا تھا اور چھتی کا آنکلن کیا تھا۔ لیکن ابھی تک بھارت سرکار سے کوئی بھی اترکت سہایتا نہیں ملی ہے۔ میں بھی ٹھاکر صاحب سے سہمتی جتاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جانچ دل نے جو آنکلن کیا اسکے آنکلن کی جو رپورٹ ہے وہ کیا ہے۔ یہ بتایا جائے۔ اس دل نے کچھ سہایتا کیلئے بھی کیندر کو سمجھاؤ دیا یا نہیں۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی بتائیں۔ اس سلسلہ میں ہم کہنا چاہیں گے کہ بہار کو کافی چھتی ہوئی ہے۔ اسکے علاوہ بنگال۔ ہریانہ۔ اتر پردیش اور آندھرا پردیش کی ہوئی ہے۔ اڑیسہ کے بارے میں ہم کہنا چاہتے ہیں منتری جی کہ اڑیسہ کے اندر بھی اسی ورشا باڑھ سے خاص کر تین ضلع کافی پربھاوت ہوئے ہیں۔ ایک گنجام دوسرا بالاسور۔ اور تیسرا جگت سنگھ پور۔ یہ تینوں باڑھ۔ ورشا اور طوفان سے۔ سائیکلون سے پربھاوت ہیں۔ اڑیسہ کے اٹھارہ ضلعوں میں کافی بربادی ہوئی

کچھ علاقہ سوکھے میں - تو اس بھارت کی جنتا کو جو نیتی آپ بنا دیئے ہیں - اس سے ملکتی دلا دیئے اور باڑھ نیتران سے سنچائی پری یوجنا ہو راجیہ - راجیوں کے اندر اسی سمو چت روپ ریکھا تیار کر کے اسکو آپ کریں گے تو آپکا بجٹ کا سنکٹ بھی دور ہو گا - بے روزگار نوجوانوں کو آپ روزگار بھی دے پائیں گے - اور اس پر اربوں کا جو بری ورش روتا روتے ہیں - اس سے بھی ہمکو ملکتی ملیگی - انہی شبدوں کے ساتھ ہم آپ سے مانگ کرتے ہیں - باڑھ پیڑت لوگوں کی سمو چت سہائتا کیندر کی اور سے سبھی راجیوں میں جس حد تک بربادی ہے اسکو کرنے کی دشا میں ٹھوس قدم اٹھائیں اور مدد کریں -

ختم شد -]

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए।]

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कृषि मंत्री जी द्वारा दिए गये वक्तव्य की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 23 राज्यों में मानसून की बाढ़ का कमोवेश प्रभाव पड़ा है। 2341 जानें गईं, 22 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए, 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा है कि चालू वर्ष के दौरान हमने आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सहित 13 राज्य है जिनमें बाढ़ से उत्पन्न गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आपदा राहत कोष से सहायता मांगी गई है। उसमें से 7 राज्यों को उन्होंने सहायता देने की बात कही है।

اس میں میں پینتر یہ دوہرانا چاہتا ہوں کہ آپکے سامنے کہ آپ راشٹریہ جل نیتی بنایئے - ۸۰ سال بیت گئے باڑھ نیتران کو آپ نہیں کر سکے آپ سوکھا پر نیتران نہیں کر سکے تو کیا یہ لائیلا نہیں - ہم کو یاد ہے کہ بھارت سے پیچھے چین میں نئی سرکار آئی - وہ چین کی سرکار نے وہاں کی جنتا کو اور اپنی سرکار کو کہا - اور ہم لوگ پڑھتے تھے اور منتری جی بھی پڑھتے ہونگے بھوگول میں پڑھتے تھے - "ہوانگ ہو" ندی چین کا ابھی شاپ ہے - تو چین کی سرکار نے "ماؤ تسے تنگ" کی سرکار نے کہا دونوں کو - سرکار کو بھی اور جنتا کو بھی کہ چین کے کے ابھیشاپ کو سماپت کرنے کیلئے "ہوانگ ہو" ندی کو باندھو - تو سرکار اور جنتا نے ملکر کے ہوانگ ہو ندی کو باندھ دیا اور وہ ندی جو چین کا ابھیشاپ تھی وہ ابھیشاپ پرایہ سماپت ہو گیا - لیکن یہ سنکلپ تو آپ لیجئے - وہ ابھیشاپ ورداں میں بدل گیا لیکن ۱۹۷۸ کے بعد دکھ کی بات ہے - کہ ہماری سرکار باڑھ اور سوکھے سے دیش کی جنتا کو نجات دلانے کیلئے کوئی راشٹریہ نیتی نہیں اپنا رہی ہے - کچھ علاقے جل کے بھاؤ میں ہیں - کچھ علاقوں میں پانی ہی نہیں - کچھ علاقے باڑھ میں -

महोदय, मैं बिहार के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। दक्षिणी बिहार के बारे में सामान्यतः जनार्दन जी, रामेश्वर ठाकुर जी, दिग्विजय जी, कई लोगों ने चर्चा की है। उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आती है मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। महोदय, उत्तरी बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। कमला, कोसी, गंडक आदि नदियों में लगातार प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और इस बार बिहार में जो पहली बाढ़ आई वह अगस्त महीने में आई। कमला नदी का बांध टूटा। हमारे ग्रामीण विकास और रोज़गार मंत्री बैठे हुए हैं, उस क्षेत्र से मधुबनी से 22 साल एम०एल०ए० रहे हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं रोजगार मंत्री डा० जगन्नाथ जी भी गए थे। उन्होंने भी देखा था रेलवे लाइन टूट गयी, कमला बलान का तटबंध कई जगहों पर टूट गया और लगभग एक महीने तक आवागमन बिल्कुल ठप्प था। यह इस बार नहीं हुआ, बार-बार होता है। उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ आती है, बांधें टूटती है और गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं। बिहार सरकार ने 20-8-95 को पहली बार केन्द्र सरकार से 95 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की थी, मगर 95 करोड़ में से कुछ भी नहीं गया। उस के बाद फिर से कुछ जिलों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा, कुछ और जिलों में बाढ़ आ गयी और 20-10-95 को बिहार सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार से 975 करोड़ 80 लाख रुपए की मांग की गयी, लेकिन उस में से भी कुछ नहीं मिला। उस के बाद फिर दक्षिणी बिहार के कुछ इलाकों में भयंकर बाढ़ और तूफान आया जिस के बारे में दूसरे माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की है और 1102 करोड़ रुपए की मांग बिहार सरकार की तरफ से की गयी। महोदय, डा० जगन्नाथ मिश्र जी का बयान आया था कि बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार की तरफ से पूरी सहायता दी जाएगी जिससे हमें बड़ा संतोष हुआ और बिहार के लोगों को आशा थी कि बिहार में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, खासकर उत्तरी बिहार में, उस के लिए बिहार को केन्द्रीय सरकार की मदद दिलाने में उन का बड़ा सहयोग मिलेगा, मगर लगता है कि वे भी इस काम में असफल रहे हैं और केन्द्रीय सरकार को प्रभावित नहीं कर सके हैं।

महोदय, मैं उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। महोदय, ये उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, वे अधिकतर नेपाल से आती हैं और जब तक उत्तरी बिहार की नदियों को नेपाल में नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक बिहार की उन नदियों में लगातार बाढ़ आती रहेगी और बिहार को हर साल करोड़ों-अरबों रुपयों की क्षति होती रहेगी। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि नेपाल के साथ उन नदियों के नियंत्रण के बारे में जो बात हो रही है, उसे आगे बढ़ाएं। अगर वह चाहते हैं कि उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ नहीं आए और नदियों के पानी को हम सिंचाई के लिए, बिजली पैदा करने के लिए उपयोग कर सकें तो केन्द्रीय सरकार को नेपाल सरकार से बात करने में तेजी लानी चाहिए और बात करने के बाद एक निर्णय करना चाहिए जिससे नेपाल को भी लाभ होगा और हमारे देश को और खासकर बिहार को भी लाभ होगा।

महोदय, दूसरी बात यह है कि ये जो नदियां हैं, उन से सिल्टिंग बहुत ज्यादा होता है। डा० जगन्नाथ मिश्र जी जानते हैं कि कोशी नदी में हर साल बड़े पैमाने पर सिल्टिंग होता है। कोशी नदी के दोनों तटबंधों के बीच जो हजारों लोग बसे हुए हैं, उन्हें हर साल घर बदलना पड़ता है। वे इस साल यहां बसे हुए हैं तो अगले साल उन्हें 5 सौ मीटर या एक किलोमीटर दूर जाकर बसना पड़ता है। महोदय, बिहार सरकार के पास सिल्टिंग हटाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वह अपने कोष से उस काम को कर सके, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस काम में मदद करनी पड़ेगी।

महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 5827 करोड़ रुपए के बिहार विकास पैकेज की घोषणा की थी और उस में से बिहार की बाढ़ समस्याओं के निदान के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना की बात कही गयी थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती तो मनाते हैं पर उन के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था या जो घोषणा की गयी थी, उसे पूरा नहीं करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री रामदेव भंडारी: तो मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी के आश्वासनों को पूरा करने के लिए, उन्होंने बिहार के बारे में जो घोषणा की थी, उसे पूरा करना आपका कर्त्तव्य है। आप 500 करोड़ रुपया, अब शायद 500 करोड़ से ज्यादा हो गया होगा, नरेश यादव जी कह रहे हैं कि 1100 करोड़ हो गया है, तो बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए आप 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करें और बिहार सरकार ने जो 1102 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें आपने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया है, आप तुरन्त बिहार सरकार की मांग पर 1100 करोड़ रुपए मुहैया कराएं बिहार सरकार को जिससे बिहार सरकार, बाढ़ से जो भारी क्षति हुई है, उसका मुकाबला कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SANATAN BISI (ORISSA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Minister to two important issues.

The Government of Orissa has requested the Central Government to grant an amount of Rs. 110 crores towards the 1993-94 floods and Rs. 150 crores towards the July, 1994 floods. I want to know from the Minister the actual amount which has been released to the Government of Orissa for these two years.

The second issue is, the Government of Orissa proposed to the Union Government that the ratio of calamity relief expenditure should be such that 90% should be given by the Centre and 10% should be contributed by the State Government. I want to know the position of the Government on this issue.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष जी, मुझे केवल दो-तीन प्रश्न पूछने है मंत्री जी से। मंत्री जी, यह बाढ़ तो आती ही रही है और आती ही रहेगी और सारे देश में मानसून को बताने के लिए—कब मानसून आएगा, किधर से आएगा, हमारे यहां पूरा मेकेनिज्म मौजूद है। वर्षा कितनी होगी, कहां पर कितनी होगी, रोजाना रात को टेलीविजन पर भी यह बताया जाता है और वार्निंग भी दी जाती है। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जिन स्थानों पर भारी वर्षा हुई, जिसका उल्लेख आपने अपने बयान में किया है और उसके कारण, बाढ़ आने का कारण केवल भारी वर्षा ही नहीं होता है कुछ और भी कारण होता है, या आपने कोई एडवांस यानी पहले से क्या कार्रवाई की उन लोगों को, जिनकी जानें गई है, बचाने के लिए? क्या कोई इस तरह की वार्निंग, चेतावनी उस क्षेत्र में दी गई थी कि, भाई, बाढ़ आने वाली है, आप अपने घरों-मकानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में आ जाइए, अपने मवेशियों को ले आइए और भविष्य में आप इस चीज को नियंत्रित करने के लिए कोई महकमा, कोई संस्थान या कोई मेकेनिज्म बनाएंगे?

दूसरे, यह जो आंकड़े आते हैं कि बाढ़ में कुछ इतने लोग मरे या बहे और माननीय सदस्य लोग और सरकारें अलग आंकड़े देती है। तो कुछ तो ऐसे हैं, जिनकी जानें गई, उनकी रिपोर्ट थाने में हो जाती है—लाश मिल गई, पोस्ट-मार्टम हो गया। ज्यादातर रिपोर्टें तहसीलदार के यहां होती है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट में बाढ़ों के मामले ज्यादातर जाते है क्योंकि जो आवश्यकता खास होती है, वह पहनने के लिए कपड़े खाने के लिए और मकान और मवेशियों के लिए चारे आदि की होती है और इसका सीधा संबंध बंटवारे आदि से होता है। तो क्या आप इस बात को ऐसरटेन करेंगे कि कितनी सूचनाएं, शिकायतें राजस्व अधिकारियों के यहां हुई, कितनी थानों के यहां हुई और कितनी स्वयं-सेवी संस्थाओं ने इकट्ठी की और नहीं तो क्या भविष्य में इस तरह से संचालित करेंगे?

तीसरे, आपने यह कहा कि हमने टीमें भेजी थीं और आपने कहा कि उन्होंने अपनी आस्था दी है और उन्होंने तखमीना दिया है, हमने कुछ राज्यों को तो राहत दे दी है, कुछ को दे रहे हैं। राहत तो तुरन्त चाहिए, जिनका मकान ही नहीं है, उनको कुछ राहत तो तुरन्त चाहिए। जिनके मवेशी दूध देने वाले थे या खेत जोतने वाले थे, अब फसल की बुवाई होनी है, वे नहीं रहे, उनकी फसल की बुवाई कैसे होगी? उनको तुरन्त राहत देनी चाहिये। आपने अपने बयान में कहा है कि फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंड किया है कि पैसा ज्यादा स्टेट को देना चाहिये और हमारे पास 700 करोड़ रुपया उपलब्ध भी है, तो फिर यह तुरन्त राहत का जो धन है, वह क्यों नहीं पुहंचाया गया? जिन्होंने नहीं पहुंचाई उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? आज यहां आश्वासन दीजिये कि खास तौर से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जहां पर नहीं गया है, कल तक आप यह राहत सामग्री और पैसा पहुंचा देंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) श्री वीरेन्द्र कटारिया, आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब): आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ पंजाब के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो बाढ़ आई थी तब भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पंजाब में पहले ही टैरेरिज्म की वजह से पंजाब की इकोनोमी बिल्कुल शैटर्ड हो गई थी और अब बड़ी मुश्किल से आहिस्ता-आहिस्ता हम उस इकोनोमी को ठीक करने में लगे हुये हैं। लेकिन इस बाढ़ ने जो पहले भी दो साल पहले आई थी जिससे सड़कें टूट गई थी, टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गया था, पुल टूट गये थे, पशु धन का नुकसान हुआ था, आदमी मारे गये थे, प्रोपर्टी का नुकसान हुआ था। अभी तक हम उन जख्मों को ठीक नहीं कर सके थे कि अब फिर फ्लड् आई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना

चाहता हूं कि उन्होंने 25 करोड़ रुपये पंजाब को दिया है। उसके लिए पंजाब के लोग उनके बहुत ममनून और मसगूर है। लेकिन हमारी जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। इसके साथ-साथ ओवर ऑल जो हमारी इकोनोमी है उसकी तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिये कि टेरोरिज्म की वजह से हमारी सारी इकोनोमी शैटर्ड हो गई थी और मरकज़ी सरकार ने जो छः हजार करोड़ रुपए का कर्जा था वह भी माफ किया है। तो आप हमारी इकोनोमी का या बुरी हालत का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब की तरफ खास तंवोज्जूह दी जाए, पंजाब के मजीद फंड दिये जाएं। इसके साथ-साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हर साल ऐसा ही होता है। हजारों आदमी दरिया के किनारे अपने घरों को छोड़कर, टूटे मकानों को छोड़कर, बर्बाद फसलों को छोड़कर, मरे हुये पशुओं को छोड़कर, बदबू में, बीमारी की हालत में हर साल यह एक रस्म बन गई है। कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स एडोप्ट नहीं किये जा सकते कि बार-बार आप इस परेशानी से दो-चार न हों और हम अपनी जो जिंदगी है उसको आराम के साथ रखें और जो हमारी इकोनोमी है उसको और ऊंचा उठाने के बजाय यह हर साल पैसे जाया हों, एक दफे सारे पैसे खर्च करके जो प्रिवेंटिव मेजसर इन चीजों को दूर करने के लिये किये जा सकते हैं, तो सरकार की तवोज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह उन प्रिवेंटिव मेजर्स को भी एडोप्ट करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, में आपका शुक्रगुजार हूं।

†[अनुवाद] "पंजाब" आप का बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ पंजाब के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो बाढ़ आई थी तब भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पंजाब में पहले ही टेरोरिज्म की वजह से पंजाब इकोनोमी बिल्कुल शैटर्ड हो गई थी और अब बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता हम इस इकोनोमी को ठीक करने में लगे हुये हैं। लेकिन इस बाढ़ ने जो पहले भी दो साल पहले आई थी जिस से सड़कें टूट गई थीं।

†[Translation] Thank you "Punjab". I want to say a few words about Punjab only. In the floods that came in Punjab, the damage was very much. Punjab had already suffered because of terrorism. The economy of Punjab was totally shattered. Agriculture was totally destroyed. Cattle wealth was destroyed. Houses were destroyed. Crops were destroyed. Bridges were washed away. Roads were washed away. Communication was totally disrupted. We are trying to put the economy back on its feet. We are trying to repair the damage. But this flood has washed away the bridges which were washed away two years ago. The roads which were washed away two years ago have been washed away again. The damage to the crops has been tremendous. The damage to the cattle wealth has been tremendous. Houses have been washed away. Bridges have been washed away. Roads have been washed away. Communication has been totally disrupted. Agriculture has been totally destroyed. Cattle wealth has been destroyed. Houses have been destroyed. Crops have been destroyed

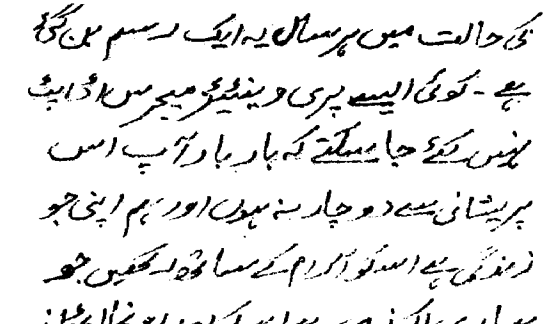

श्री अरविन्द नेताम: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जनार्दन यादव जी और अन्य सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से एक बार इस सदन में फिर से देश में हुई बाढ़ से क्षीत और परेशानियों के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला। माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिन लोगों ने इस विपदा में परेशानी झेली है और जान और माल का नुकसान हुआ है, उससे मै सहमत हूं। मेरी अपनी भी सहानुभूति है और सरकार की भी सहानुभूति है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम हर साल सूखे और बाढ़ की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और यह बात भी सही है कि जितनी क्षति होती है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती और न यह संभव ही है। आप सभी जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अपनी-अपनी जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है और कितनी जिम्मेदारी है, यह इस सदन और देश के संविधान ने तय किया है। सभी राज्य अधिक से अधिक मदद मांगते हैं। यह बात भी सही है और मांगना भी चाहिये। पर उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है उसकी अपनी एक सीमा है और सीमा किसी और ने नहीं सदन ने और संविधान ने बांधी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो फाइनेंस कमीशन तय करते है कि राज्य सरकारों को ऐसी प्राकृतिक विपदा में कैसे और कितनी मदद करनी चाहिये, यह पांच साल के लिये तय होता है। ऐसी प्राकृतिक विपदा में कितनी मदद करनी चाहिये यह पांच साल के लिये तय होता है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस वित्त आयोग का गठन होता है, उसमें विचार होता है कि राज्य सरकारों को कितना देना चाहिये और राज्य सरकारें मिलकर वित्त आयोग के सामने तय करती है। उसमें यह तय होता है कि आने वाले सालों में राज्यों को कितनी मदद मिलेगी। नवें वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वह 31 मार्च, 1995 तक था और एक अप्रैल, 1995 से दसवें वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू हुआ। इन फाइनेन्सियल इयर्स में दोनों वित्त आयोग की जो सीमा है 31 मार्च तक की नवें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी उसमें केलेमिटीज रिलीफ फंड था राज्य सरकारों को कितना देना है इस को हर राज्य सरकार जानती थी केलोमिटीज हो या न हो पर हर राज्य सरकार जो एक तय राशि है वह तीन-चार किश्तों में ले लेती है और इसी प्रकार से यह फिक्स राशि चार स्टालमेंट में हर राज्य को मिलती रही है। नवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर तय हुआ था। नवें वित्त आयोग और दसवें वित्त आयोग में फर्क इतना हुआ है कि दसवें वित्त आयोग में सभी राज्य सरकारों ने यह विचार जाहिर किया है कि इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये और उसी आधार पर दसवें वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसके आधार पर पांच साल की जो राशि है वह तय की गई है जो मैंने अपनी मूल स्टेटमेंट में कहा है। उसके हिसाब से हर साल बढ़ोत्तरी उसमें हुई है। उसकी जो राशि है नवें वित्त आयोग में फिक्स राशि थी और पांच साल तक हर साल उतनी ही मिलती थी। और हर साल दसवें वित्त आयोग के हिसाब से बढ़ती हुई राशि मिलेगी, यह तय हुआ है और इसी हिसाब में मेरी सीमा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकारों को तय है उसी सीमा के तहत मैं मदद कर सकता हूं उस से अधिक मैं नहीं कर सकता हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को अभी तो इस प्रकार से नवें और दसवें वित्त आयोग की सिफारिश में जो अंतर है वह मैं सदन के सामने रखता हूं और इस से सभी राज्य सरकारें सहमत भी हैं जो थोड़ी सी परेशानी है वह परेशानी भी कम होगी यह मैं मानकर चलता हूं। अभी अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों के बारे

में कहा है। उसमें मुख्त बिहार के माननीय सदस्यों ने काफी अपनी-अपनी बातें कही है। उसके बाद हरियाणा के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं और उत्तर प्रदेश के भी हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि बिहार के अधिकांश माननीय सदस्यों ने ये शिकायतें की हैं कि बिहार के साथ न्याय नहीं हो रहा है। यह बात सही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि केलेमिटीज रिलीफ फण्ड है उसकी जो चार किश्तें 31 मार्च तक देनी थी वह भारत सरकार की तरफ से आपकी बिहार सरकार को दे दी गई है। इस प्रकार से जो बिहार का हिस्सा है वह पूरा का पूरा बिहार को दे दिया गया है। एक माननीय सदस्य श्री गौतम जी यह कह रहे थे कि यो सहायता राशि है वह तुरन्त नहीं मिलती है। गौतम जी, मैं सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार तय करे कि मुझे एडवान्स में किश्तें चाहिए तो हम एडवान्स में भी दे देते हैं। हमनें उड़ीसा सरकार को एडवान्स में किश्त दी है। एक साल का भी अगर एडवान्स मांगे तो हम देने को तैयार हैं। तो यह कहना सही नहीं है कि जो सहायता राशि है उसके मिलने में देरी होती है। राज्य सरकारों की तरफ से किश्तों के जितने भी निवेदन आते हैं हम तुरन्त यहां से, भारत सरकार से रिलीज करते हैं क्योंकि यह तो उनका हिस्सा है। यह राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वे कब, किस ढंग से मांगती हैं। बिहार सरकार को करीब-करीब हमारा जो हिस्सा 36 करोड़ का है, उसकी चारों किस्तें हमने दे दी है और इस प्रकार से यह कहना कि मदद नहीं मिल रही है, जो मेरी सीमा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में से अधिकांश राज्यों ने करीब करीब अपनी सभी किश्तों को मांगा है और हमने रिलीज किया है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनको अंतिम किश्त देनी बाकी है। अधिकांश राज्यों ने अपनी सभी किश्तों को मांगा है और हमने रिलीज कर दी है। बिहार को, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर मिश्रा साहब भी नहीं हैं, उनकी तरफ से भी करीब 60 हजार मकान बनाने के लिए...

श्री जलालुद्दीन अंसारी: मंत्री जी, आप राज्यवार कोटा बता दीजिए।

श्री अरविन्द नेत्ताम: जो मेरे पास है, मैं वह दे रहा हूं। क्योंकि यह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है इसलिए मैं कह रहा हूं। 60 हजार मकान बनाने के लिए....

श्री जनार्दन यादव: हरियाणा को कितना दिया और बिहार को कितना दिया, यह जरा बता दीजिए।

श्री अरविन्द नेत्ताम: वह भी बताता हूं।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप राज्यवार नहीं बोल सकते?...**(व्यवधान)**...

श्री अरविन्द नेत्ताम: 60 हजार मकान बनाने के लिए 80 करोड़ रूपये की मदद की गई है। इसके अलावा भी जो....

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Let me just tell you one point. It is not a question of Bihar, Haryana or West Bengal. We are all having parochial attitudes on this issue. When flood comes, it is due to deforestation in the upper reaches of the Himalayas which devastates the whole area. It is not within the control of one particular State. The point is that the responsibility has to be taken by the national Government. It is not a simple case which should be tackled by the State Government because flood does not originate because of only one State. I request my friends not to take parochial attitudes.

श्री अरविन्द नेत्ताम: सभी राज्यों ने जैसा मैंने कहा कि जो सी०आर०एफ० है, कैलामिटी रिलीफ फंड का, उसमें सभी राज्यों को—हरियाणा को विशेष राहत दी गई है ऐसी बात नहीं है। हरियाणा का जितना हिस्सा बनता है उतना ही दिया गया है। 17 करोड़ 74 लाख उनका जितना भी सी०आर०एफ० है, चार किश्तों में यह दिया गया है और जो टेंथ फाईनेंस कमीशन ने नेशनल फंड फार केलेमिटिजरिलीफ बनाया है, इसमें से 39 करोड़ 41 लाख रुपया हरियाणा को दिया गया है। यह जो कैलामिटी रिलीफ फंड और नैशनल फंड फार कैलामिटी रिलीफ है, इन दोनों फडों से इतना रुपया दिया गया है। यह कहना बहुत सारा पैसा दिया गया, यह बात सही नहीं है।

श्री जनार्दन यादव: उसको 800 करोड़ रुपया जो मिला है यह किस फंड से मिला?

श्री अरविन्द नेत्ताम: मैं रिलीफ फंड की बात कर रहा हूं। मेरी जानकारी कहां तक सही है, यह मैं नहीं कह सकता। पर 200 या 300 करोड़ रुपया फाईनेंस मिनिस्ट्री ने लोन दिया है, इंटरेस्ट पे लोन है वह मदद नहीं है।

श्री जनार्दन यादव: 200 करोड़ अनुदान है और 400 करोड़ रुपया लोन दिया है। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए।

श्री अरविन्द नेत्ताम: मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र कुमार सिंगला (पंजाब): 50 करोड़ रुपया एडवांस प्लान असिस्टेंस है। आप भी लोन चाहेंगे?

.....व्यवधान.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): यादव जी, क्रास टॉक करने से नहीं चलेगा।

श्री अरविन्द नेत्ताम: जो हरियाणा का हिस्सा है उसको वह दिया गया है और मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो नेशनल फंड फार कैलामिटीज रिलीफ, बहुत से राज्यों ने जिसमें बिहार भी है, यह उनके विचाराधीन है और अगली मीटींग में संभवतः जो हफ्ते, 10 दिन में होने वाली है, उसमें विचार किया जाएगा। उसमें जो भी विचार किया जाएगा वह आप को मालूम हो जाएगा।

कुछ नेपाल से संबंधित बात है, खासकर बिहार के माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे नेपाल के साथ बात हो रही है कि कैसे हम यहां से नदियों को रोकें।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): दूसरे स्टेट्स को भी क्या दिया है यह भी थोड़ा सा बता दें। यह बिहार और हरियाणा का सवाल नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Minister, you are not obliged to reply to every point. ..*(Interruptions)*...

मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए और जो भी सवाल उठाए उसका जवाब बाद में दीजिए।

श्री अरविन्द नेताम: नेपाल सरकार से बात हुई है बहुत सी नदियों के बारे में और उसमें काफी प्रगति हुई है। सर्वे का काम करीब-करीब पूरा हुआ है और फेस मैनर पर आगे का काम जारी है। उसी प्रकार कोसी के बारे में भी दोनों देशों के बीच अंतिम रूप से बातचीत हो गई है और अन्य जो काम है उनको फेजमैनर पर लिया जाएगा। माननीय सदस्यों ने बिहार के बारे में जो चिन्ता जाहिर की कि बिहार के जिलों में दिक्कत होती है तथा वहां फलड की स्थिति बनती है, उस हिसाब से भी दोनों देशों के बीच में बात हुई है। अन्सारी साहब ने राष्ट्रीय जल-नीति के बारे में कहा, मैं जल संसाधन मंत्रालय को इस बारे में यह अवगत करऊंगा कि जो राष्ट्रीय जल-नीति बने, उसमें माननीय सदस्यों की मंशा को दृष्टि में रखा जाए।

इसी प्रकार से गौतम जी ने जो आंकड़ों के बारे में अन्तर की बात कही है मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी आंकड़े राज्य सरकार के पास, केन्द्र सरकार के पास तथा हमारे पास हैं वे राज्य सरकार से आते हैं। हो सकता है कि माननीय सदस्य जिन-जिन राज्यों से आते हैं उनके सूचना प्राप्त करने के अपने तरीके हो सकते हैं, परन्तु हमारे पास जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वे राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं। हम जो भी बात सदन के समक्ष रखते हैं वह सब राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर रखते हैं। फलड कन्ट्रोल के बारे में भी भारत सरकार में कुछ प्रयास किये गए हैं, इस संबंध में, जल संसाधन की तरफ से कुछ कदम उठाये गये हैं। जो फलड फोर कास्टिंग के बारे में कहा गया है इसमें मेरा यह कहना है कि जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से जो फ्लड फोरकास्टिंग सेन्टर्स हैं, ये लगभग 157 हैं। माननीय सदस्यों से मेरा यह कहना है कि फोर कास्टिंग सिस्टम में काफी प्रगति हुई है। जो क्षति होती है, उसको बचाने में हम काफी सफल हुए हैं। परन्तु पूरे देश में वह व्यवस्था नहीं हो पाई है। खासकर कोस्टल एरिया में सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है उसमें जो भी एफिसिएन्शी बढ़ाने की बात हो रही है उसमें निरंतर सुधार किया जाता है। माननीय गोस्वामी जी ने ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के बारे में कहा है यह मूलतः वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टरी से संबंधित है। यह तो सर्वविदित है कि ब्रह्मपुत्र के लिए संसद के माध्यम से बोर्ड बनाया गया 1981 में और उस बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी फलड कन्ट्रोल की है। इस दिशा में भी कुछ काम हुए हैं। ब्रह्मपुत्र पर फलड कन्ट्रोल करने के लिए सैन्ट्रल वाटर कमीशन की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं। 1995-96 में करीब 312 करोड़ रुपया सारी स्टेट गवर्नमेंट ने फलड कन्ट्रोल के लिए रखा है। भारत सरकार का उसमें 58.5 करोड़ का शेयर है। भारत सरकार फलड कन्ट्रोल के बारे में चिंतित है और समय-समय पर राज्य सरकारों से मिलकर इस प्रकार की कार्यवाही करती रही है जिससे फलड की रोकथाम हो सके।

महोदय, नेच्यूरल केलेमिटीज का पूरी तरह से कन्ट्रोल हो यह बात तो नहीं है। माननीय मिश्र जी यहां नहीं हैं, वे कह रहे थे कि डा० के० एल० राव जब सिंचाई मंत्री थे तो इस पर काफी चर्चा उस समय हुई थी। इसमें हम सभी जानते हैं कि पैसे की काफी आवश्यकता होती है और जो भी पैसे उपलब्ध होते हैं उस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से इन प्राकृतिक आपदाओं को कंट्रोल करने के, नियंत्रण करने के प्रयास होते रहे हैं। यह कहना कि पूरा कंट्रोल हो जाए, यह तो

संभव नहीं है। फिर भी भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है और इस केलेमिटी रिलीफ फंड और नेशनल फंड पर केलेमिटी रिलीफ दोनों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। सभी राज्य सरकार से जो हो सकता है, जितना हो सकता है वह प्रयास जो उनके हिस्से हैं मदद करने के प्रयास किये जा रहे हैं और यह राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि इस दिशा में वह कितना अपने अपने राज्यों में काम करते हैं। खास कर के जब प्राकृतिक आपदा का समय आता है तो सभी राज्य सरकारें काम करती हैं और सभी राज्य सरकारों की तरफ से हमें रिपोर्ट मिलती है। जब भी ऐसे समय आएंगे तो यह जो नेशनल फंड बना है, उसमें से प्रयास किया जाएगा जैसे कि मैंने कहा कि अन्य राज्य भी हैं बिहार के साथ उनको भी इस संबंध में कितनी मदद की जाएगी, इसके लिए मीटिंग होगी उसमें विचार किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि इस कालिंग अटेंशन मोशन के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया।

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आज दोपहर से यह चर्चा हो रही है और मंत्री जी ने जवाब भी दे दिया है। **(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपको जवाब नहीं मिला?

श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला: मैंने बोला था जवाब नहीं मिला। मैंने एक सवाल पूछा था **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सब एक साथ नहीं बोलें। श्री नरेश यादव।

श्री नरेश यादव: महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने आपसे कितनी सहायता मांगी है और राष्ट्रीय आपदा समिति ने कितना आबंटन किया है? इसके बारे में बता दें।

श्री अरविन्द नेताम: महोदय, बिहार सरकार ने 975 करोड़ मांगा है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कमेटी गई थी, स्टडी टीम 24 से 26 नवम्बर के बीच में गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी बन रही है। निकट भविष्य में मीटिंग होगी, उसमें तय होगा। बिहार के साथ अन्य राज्यों का भी मामला है। **(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: उनके साथ बिहार को क्यों नहीं रखा गया? **(व्यवधान)** बिहार के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। **(व्यवधान)** मंत्री जी सदन में स्पष्ट घोषणा करें **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): उन्होंने स्पष्ट कहा है **(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: कहां स्पष्ट है? यह क्या बात है **(व्यवधान)** क्या करना चाहते हैं, बिहार में क्या मदद कर रहे हैं? कितना दे रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन यादव: एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सब का प्रश्न हो जाए **(व्यवधान)** दूसरों को भी अधिकार है प्रश्न पूछने का। आपको बाद में मौका दिया जाएगा **(व्यवधान)** श्री सुरजेवाला जी।

SHRI S.S. SURJEWALA: Mr. Minister, while speaking on this motion, I said specifically that the Government of India should provide at least three lakhs of houses in Haryana to the landless people for their rehabilitation becuase more than five lakhs of people lost their houses completely. They were devastated, they have lost everything in the floods. They had to migrate to other places to seek shelter with their relatives and with their friends. Since they are coming back and it is winter season, will the Government of India give assistance to the Government of Haryana to construct three lakhs of pucca houses for the landless people?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप सब के प्रश्न सुन लें। एक एक कर के जवाब नहीं दें। नहीं तो प्रश्न बढ़ते जाएंगे और जवाब भी बढ़ते जाएंगे।

श्री जर्नादन यादव: 975 करोड़ की मांग बिहार सरकार ने की है लेकिन मंत्री महोदय ने आगे देखा नहीं या उनको दिखलाई नहीं पड़ा। उन्होंने जो दूसरी रिपोर्ट तैयार की है उसमें 1102 करोड़ 28 लाख 40 हजार की मांग की है। यह 9-10 नवम्बर को साइक्लोन से बरबादी हुई उसको जोड़ कर के अन्तिम रिपोर्ट है जिसमें 1102 करोड़, 28 लाख, 40 हजार की मांग की गई है।

श्री सनातन बिसि: मैंने पूछा था उड़ीसा ने 1993-94 में कितना मांगा और उसको कितना दिया गया और 1994 जुलाई में जो 150 करोड़ मांगा तो उसमें से कितना दिया गया?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (WEST BENGAL): My first question is regarding the State-wise requirement; whatever has come to the Central Government. That should be spelt out. The House should know as to what is the requirement. Further, how much is being given and when it will be given?

My second question is about the flood control measures. Every year, we are discussing about floods. But what about the permanent flood control measures? The Minister cannot shirk the responsibility, saying that it is the concern of the Ministry of Water Resources. After all, the Government of India is indivisible. We should know. Otherwise, what is the use of discussing it every year?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री जी जवाब दे दीजिए। सबने सवाल पूछ लिए हैं। मैं कहता हूं कि कौन से राज्य हैं जिन्होंने मांगा है आपसे और कितना कितना आपने दिया है। सबकी लिस्ट पढ़ दीजिए तो बाकी अलग अलग सवालों का आन्सर देने की जरूरत नहीं होगी ..**(व्यवधान)** जो दिया है, नहीं दिया वह पढ़ दीजिए आप।

श्री अरविन्द नेताम: आन्ध्र प्रदेश 293 करोड़—समय आड फिगर्स, अरुणाचल प्रदेश? 293 एण्ड 582 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 50 करोड़, बिहार 1101 करोड़।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ये मांगे हैं।

श्री अरविन्द नेताम: ये मांगे हैं—एण्ड हरियाणा 588, हिमाचल 481, जम्मू काश्मीर 211, मेघालय 41, मिजोरम 44, उड़ीसा 264, पंजाब 655, राजस्थान 236, वेस्ट बंगाल 632 करोड़। जो दिया गया है जो कैलामिटी रिलीफ फंड की चार किश्त हैं ...**(व्यवधान)** सारे कैमालिटी रिलीफ फंड की जो 3-4 किश्तें दी गयी है उनको मैं सभापटल पर रख देता हूं और नेशनल फंड से हरियाणा को 39.41 करोड़ और हिमाचल को 12 करोड़, जम्मू काश्मीर को 18 करोड़ एण्ड मिजोरम को 4 करोड़, उड़ीसा को 25 करोड़, पंजाब को 16 करोड़—यह नेशनल फंड से दिया गया है सी०आर०एफ को छोड़कर ...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: बिहार को?

श्री अरविन्द नेताम: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि और जो राज्य है जिनको नहीं दिया गया है सभी विचाराधीन हैं ..**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): नहीं नेशनल फंड से दे रहे हैं...**(व्यवधान)**

Now, we will take up the Statutory Resolution and the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1995. *(Interruptions) Please sit down. (Interruptions)* Shri Malaviya to move the Statutory Resolution. *(Interruptions)* Order Please.

श्री नरेश यादव: जानबूझकर बिहार के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है..**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: जानबूझकर बिहार के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार हो रहा है ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): वे विचार कर रहे हैं यह कहा है आपको। अब आप बैठिए ...**(व्यवधान)**

श्री नरेश यादव: इसलिए जनता दल वाक आउट करता है।

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन का त्याग कर गए)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): बिहार वाले वाक आउट कर गए हैं। हरियाणा वाले छोड़ दीजिए।

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1995,

II. THE INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 1995.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थिति करता हूं

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 अक्टूबर, 1995 को प्रख्यापित औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है"।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अगर किसी भी ... **(व्यवधान)**

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, what about the Minister?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Sangma is there. He will take notes.